SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

रश्मि

39 वाँ अंक (राजभाषा विशेषांक)

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग

कार्यालय - महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)

महाराष्ट्र, नागपुर

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

(सदैव ऊर्जावान ; निरंतर प्रयासरत)

राजभाषा प्रतिज्ञा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 तथा राजभाषा संकल्प 1968 के आलोक में हम, केंद्र सरकार के कार्मिक यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने उदाहरणमय नेतृत्व और निरंतर निगरानी से; अपनी प्रतिबद्धता और प्रयासों से; प्रशिक्षण और प्राइज़ से अपने साथियों में राजभाषा प्रेम की ज्योति जलाए रखेंगे, उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे; अपने अधीनस्थ के हितों का ध्यान रखते हुए; अपने प्रबंधन को और अधिक कुशल और प्रभावशाली बनाते हुए राजभाषा- हिंदी का प्रयोग, प्रचार और प्रसार बढ़ाएंगे। हम राजभाषा के संवर्धन के प्रति सदैव ऊर्जावान और निरंतर प्रयासरत रहेंगे।

जय राजभाषा ! जय हिंद !

❐❐❐

रश्मि

सत्यमेव जयते

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)
महाराष्ट्र, नागपुर

रश्मि परिवार

• मुख्य संरक्षक •

श्री दत्तप्रसाद शिरसाट

महालेखाकार

• संरक्षक •

सुश्री मेघना जैन

उप महालेखाकार (प्रशासन)

• संपादक •

डॉ. प्रियंका बी. गोस्वामी

सहायक निदेशक (राजभाषा)

• सह-संपादक •

श्री. राजेश कुमार कटरे

वरिष्ठ अनुवादक

सुश्री. नयना कुमारी इस्सार

कनिष्ठ अनुवादक

सुश्री. यशी श्रीवास्तव

कनिष्ठ अनुवादक

अस्वीकरण : पत्रिका में व्यक्त विचार रचनाकारों के निजी विचार हैं, उनसे कार्यालय / संपादक मंडल अथवा प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। उनसे उत्पन्न किसी भी वाद की जिम्मेदारी रश्मि परिवार अस्वीकार करता है।

अमित शाह
गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार

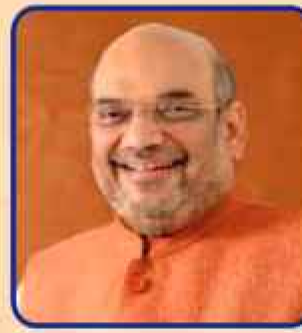

प्रिय देशवासियो !

आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

भारत मूलतः भाषा–प्रधान देश है। हमारी भाषाएँ सदियों से संस्कृति, इतिहास, परंपराओं, ज्ञान–विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम रही हैं। हिमालय की ऊँचाइयों से लेकर दक्षिण के विशाल समुद्र तटों तक, मरुभूमि से लेकर बीहड़ जंगलों और गाँव की चौपालों तक, भाषाओं ने हर परिस्थिति में मनुष्य को संवाद और अभिव्यक्ति के माध्यम से संगठित रहने और एकजुट होकर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है।

मिलकर चलो, मिलकर सोचो और मिलकर बोलो, यही हमारी भाषाई और सांस्कृतिक चेतना का मूल मंत्र रहा है।

भारत की भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि उन्होंने हर वर्ग और समुदाय को अभिव्यक्ति का अवसर दिया। पूर्वोत्तर में बीहू का गान, तमिलनाडु में ओवियालू की आवाज, पंजाब में लोहड़ी के गीत, बिहार में विद्यापति की पदावली, बंगाल में बाउल संत के भजन, आदिम समाज में ढोल–मांदर की थाप पर करमा की गूँज, माताओं की लोरियाँ, किसानों का बारहमासा, कजरी गीत, भिखारी ठाकुर की 'बिदेशिया', इन सबने हमारी संस्कृति को जीवन्त और लोककल्याणकारी बनाया है।

मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय भाषाएँ एक दूसरे की सहचर बनकर, एकता के सूत्र में बंधकर आगे बढ़ रही हैं। संत तिरुवल्लुवर को जितनी भावुकता से दक्षिण में गाया जाता है, उतनी ही रुचि से उत्तर में भी पढ़ा जाता है। कृष्णदेवराय जितने लोकप्रिय दक्षिण में हुए, उतने ही उत्तर में भी। सुब्रमण्यम भारती की राष्ट्रप्रेम से ओत–प्रोत रचनाएँ हर क्षेत्र के युवाओं में राष्ट्रप्रेम को प्रबल बनाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास को हर एक देशवासी पूजता है, संत कबीर के दोहे तमिल, कन्नड़ और मलयालम अनुवादों में पाए जाते रहे हैं। सूरदास की पदावली दक्षिण भारत के मंदिरों और संगीत परंपरा में आज भी प्रचलित है। श्रीमंत शंकरदेव, महापुरुष माधवदेव को हर एक वैष्णव जानता है। और, भूपेन हजारिका को हरियाणा का युवा भी गुनगुनाता है।

गुलामी के कठिन दौर में भी भारतीय भाषाएँ प्रतिरोध की आवाज बनीं और आज़ादी के आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाने में भूमिका निभाई। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने जनपदों की भाषाओं में, गाँव–देहात की भाषा में लोगों को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ा। हिंदी के साथ ही सभी भारतीय भाषाओं के कवियों, साहित्यकारों और नाटककारों ने लोकभाषाओं, लोककथाओं, लोकगीतों और लोकनाटकों के माध्यम से हर आयु, वर्ग और समाज के भीतर स्वाधीनता के संकल्प को प्रबल बनाया। वन्दे मातरम् और जय हिंद जैसे नारे हमारी भाषाई चेतना से ही उपजे और स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान के प्रतीक बने।

जब देश आजाद हुआ, तब हमारे संविधान निर्माताओं ने भाषाओं की क्षमता और महत्ता को देखते हुए

इस पर विस्तार से विचार–विमर्श किया और 14 सितम्बर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया। संविधान के अनुच्छेद 351 में यह दायित्व सौंपा गया कि हिंदी का प्रचार–प्रसार हो और वह भारत की सामासिक संस्कृति का प्रभावी माध्यम बने।

पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं और संस्कृति के पुनर्जागरण का एक स्वर्णिम कालखंड आया है। चाहे संयुक्त राष्ट्रसंघ का मंच हो, जी–20 का सम्मेलन या SCO में संबोधन, मोदी जी ने हिंदी और भारतीय भाषाओं में संवाद कर भारतीय भाषाओं का स्वाभिमान बढ़ाया है।

मोदी जी ने आजादी के अमृत काल में गुलामी के प्रतीकों से देश को मुक्त करने के जो पंच प्रण लिए थे, उसमें भाषाओं की बड़ी भूमिका है। हमें अपनी संवाद और आपसी संपर्क भाषा के रूप में भारतीय भाषा को अपनाना चाहिए, न कि किसी विदेशी भाषा को। तभी हम गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्त हो पाएँगे।

राजभाषा हिंदी ने 76 गौरवशाली वर्ष पूरे किए हैं। राजभाषा विभाग ने अपनी स्थापना के स्वर्णिम 50 वर्ष पूर्ण कर हिंदी को जनभाषा और जनचेतना की भाषा बनाने का अद्‌भुत कार्य किया है। 2014 के बाद से सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को निरंतर बढ़ावा दिया गया है। संसदीय राजभाषा समिति ने वर्ष 1976 में अपनी स्थापना से लेकर 2014 तक माननीय राष्ट्रपति महोदया को प्रतिवेदन के 9 खंड प्रस्तुत किए थे, वहीं 2019 से अब तक 3 खंड प्रस्तुत किए जा चुके हैं। 13–14 नवम्बर 2021 को वाराणसी से प्रारंभ हुए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों की परम्परा भी लगातार आगे बढ़ रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी राजभाषा विभाग ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन पर आधारित 'कंठस्थ 2.0' में आज 5 करोड़ से अधिक वाक्यों का ग्लोबल डाटाबेस उपलब्ध है। 'लीला राजभाषा' और 'लीला प्रवाह' जैसे शिक्षण पैकेजों के माध्यम से 14 भारतीय भाषाओं में हिंदी सीखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2022 में शुरू हुआ 'हिंदी शब्द सिंधु' अब तक लगभग 7 लाख शब्दों से समृद्ध हो चुका है।

2024 में हिंदी दिवस पर 'भारतीय भाषा अनुभाग' की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के बीच सहज अनुवाद सुनिश्चित करना है। हमारा लक्ष्य यह है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ केवल संवाद का माध्यम न रहकर तकनीक, विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन की धुरी बनें। डिजिटल इंडिया, ई–गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस युग में हम भारतीय भाषाओं को भविष्य के लिए सक्षम, प्रासंगिक और वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में भारत को अग्रणी बनाने वाली शक्ति के रूप में विकसित कर रहे हैं।

मित्रों, भाषा सावन की उस बूँद की तरह है, जो मन के दुःख और अवसाद को धोकर नई ऊर्जा और जीवन शक्ति देती है। बच्चों की कल्पना से गढ़ी गई अनोखी कहानियों से लेकर दादी–नानी की लोरियों और किस्सों तक, भारतीय भाषाओं ने हमेशा समाज को जिजीविषा और आत्मबल का मंत्र दिया है।

मिथिला के कवि विद्यापति जी ने ठीक ही कहा है:
"देसिल बयना सब जन मिट्ठा।"
अर्थात् अपनी भाषा सबसे मधुर होती है।

आइए, इस हिंदी दिवस पर हम हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करने और उन्हें साथ लेकर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी तथा विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लें।

आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

वंदे मातरम्।

नई दिल्ली
14 सितंबर, 2025

(अमित शाह)

महालेखाकार का संदेश

यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हमारी कार्यालयीन गृह-पत्रिका 'रश्मि' के 39 वें अंक का प्रकाशन 'राजभाषा विशेषांक' के रूप में होने जा रहा है। हिंदी भाषा हमारे देश की समृद्ध संस्कृति एवं संस्कारों का न केवल प्रतिबिंब है अपितु राजभाषा के रूप में हिंदी राष्ट्रीय स्वाभिमान और सांस्कृतिक गौरव का प्रतिनिधित्व भी करती है। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का यह दायित्व है कि वह अपना अधिकाधिक सरकारी कार्य राजभाषा हिंदी में करें।

'रश्मि' पत्रिका के माध्यम से हमारे कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी भावनाओं, विचारों एवं अनुभूतियों को प्रकट करने हेतु एक मंच की प्राप्ति हुई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी पत्रिका 'रश्मि' का यह नवीनतम अंक कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की रचनात्मक प्रतिभा को निखारने के साथ-साथ राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में भी सहायक सिद्ध होगा।

आशा है कि भविष्य में भी हम सभी इसी प्रकार राजभाषा हिंदी को कार्यालयीन कामकाज में अधिक से अधिक प्रयोग करके राजभाषा के प्रचार-प्रसार में अपना बहुमूल्य योगदान बढ़ाते रहेंगे। पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु समस्त रचनाकारों एवं संपादक मंडल को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ संप्रेषित करता हूँ।

दत्तप्रसाद शिरसाट

दत्तप्रसाद शिरसाट
महालेखाकार

उप महालेखाकार (प्रशासन) का संदेश

कार्यालय की हिंदी गृह-पत्रिका 'रश्मि' के 39 वें अंक पाठकों को समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने में कार्यालयीन पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हिंदी पत्रिकाओं के माध्यम से कार्मिको में राजभाषा के प्रति निष्ठा की भावना जागृत होती है।

हिंदी गृह पत्रिका के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य कार्यालयीन कार्य में राजभाषा को बढ़ावा देने के साथ-साथ कार्यालय में आयोजित विभिन्न गतिविधियों से कार्मिको एवं पाठकों को अवगत कराना होता है। साथ ही, पदाधिकारियों में रचनात्मक व सृजनात्मक क्षमता को विकसित कर राजभाषा के प्रति स्नेह, उत्साह एवं रूचि उत्पन्न करना भी होता है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'रश्मि' का यह राजभाषा विशेषांक पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। पत्रिका के सफल संपादन के लिए संपादक मंडल एवं रचनाकारों को हार्दिक बधाई एवं अशेष शुभकामनाएँ....

मेघना जैन

सुश्री मेघना जैन

उप महालेखाकार (प्रशासन)

संपादकीय ...

प्रिय साथियों,

कार्यालयीन हिंदी गृह-पत्रिका 'रश्मि' के 39वें अंक को 'राजभाषा विशेषांक' के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यंत हर्ष एवं गर्व की अनुभूति हो रही है। 14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया था। यह दिवस हमें हमारी भाषाई पहचान को सशक्त बनाने और हिंदी को व्यवहार एवं कार्य-संस्कृति में समाहित करने की प्रेरणा देता है। 'रश्मि' पत्रिका हमारे कार्यालय की रचनात्मक ऊर्जा, सामूहिक सहभागिता और हिंदी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हर नया अंक हमारी यात्रा का एक पड़ाव है, जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि राजभाषा को कार्यालयीन कार्यों और रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में सशक्त बनाने की दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हिंदी हमारी पहचान है और यह पत्रिका उसी पहचान को और प्रखर बनाने का एक माध्यम है।

प्रस्तुत अंक में राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान, राजभाषा नियम 1976 सहित राजभाषा से संबंधित विषयवस्तु समाहित कराने का प्रयास किया गया है, साथ ही इसमें कार्यालय के अधिकरियों एवं पदाधिकारियों की विविध रचनाएँ भी शामिल की गई हैं जो न केवल मनोरंजक हैं बल्कि हमें राजभाषा हिंदी के बारे में सोचने व उससे जुड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। आइए, हम सब प्रस्तुत अंक के माध्यम से यह संकल्प लें कि राजभाषा हिंदी को अपने कार्य-व्यवहार में अपनाएँ तथा इसे नई ऊंचाइयों तक पहुँचाएं। आशा है कि प्रस्तुत अंक आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक, सूचनाप्रद और आनंददायी साबित होगा और भविष्य में भी अपनी सहभागिता से इसे और समृद्ध करते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ....

प्रियंका

डॉ. प्रियंका बी. गोस्वामी
सहायक निदेशक (राजभाषा)

अनुक्रमणिका

क्र.	लेख / कविता		पृष्ठ क्र.
1.	आपके पत्र		1
2.	संवैधानिक प्रावधान		4
3.	हिंदी के प्रख्यात कहानीकार कमलेश्वर	डॉ. प्रियंका बी. गोस्वामी	9
4.	ज़िंदगी के साथ ही ...	सुश्री नीना वर्मा	13
5.	होरी खेलन श्याम	श्री मनोज बिनकर	13
6.	मन्नत की पहली बारिशः एक मासूम नजरिया	श्रीमती नारंगी मीना	14
7.	राजभाषा नियम, 1976		16
8.	सद्गुरु कौन?	श्री विनय भूषण	20
9.	देह से लिपटा रहा	श्री विजय इस्सर 'वत्स'	21
10.	प्रशासनिक शब्दावली		22
11.	आधुनिकता में प्राचीनता की ओर	श्री राजेश कुमार कटरे	23
12.	आम का पौधा	श्री मंगेश डुडुलकर	25
13.	''ऐ जिन्दगी''	श्रीमती बेबीनंदा आर. ठाकुर	26
14.	कार्यालयीन हिंदी के वाक्य साँचे		27
15.	साहित्य वर्ग पहेली	श्रीमती नीरजा टंडन	30
16.	सुखः यात्रा या मंज़िल?	श्री प्रशांत कुमार साहु	32
17.	जीवन की अनिश्चितता	श्री हेमंत धोंडरीकर	34
18.	ब्रोकेन, यट ब्यूटीफुल	कु. वंदना	35
19.	दोस्ती	श्री ए. के. सिन्हा	36
20.	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक		37
21	हिंदी कार्यशाला		38
22.	हिंदी भाषा प्रशिक्षण		39
23.	स्वतंत्रता दिवस		40
24.	मेधावी छात्रों एवं उनके अभिभावकों का सम्मान		41
25.	हिंदी गृह पत्रिका रश्मि के 37-38 वें संयुक्तांक के विमोचन की झलकियाँ		42
26.	हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2025-26 का वार्षिक कार्यक्रम		43

रश्मि 39 वाँ अंक

आपके पत्र

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित हिंदी गृह पत्रिका रश्मि के संयुक्तसंक (37-39 वां) की ई-प्रति प्राप्त हुई है जिसमें प्रकाशित सभी रचनाएं उत्कृष्ट एवं ज्ञानवर्धक है। पत्रिका में समाविष्ट श्री मंगेश टोंगो की रचना सुविचार (संकलन), सुश्री रिंकू सिन्हा की रचना माँ का दर्द श्री अभय अ. सराफ की रचना नागद्वार यात्रा एवं सुश्री किरण देवी की रचना मेरे और मेरे प्रिय मित्र पर्यावरण के बीच एक संवाद प्रशंसनीय हैं।

हिंदी भाषा की सृजनशीलता के उत्थान हेतु आपका प्रयास सराहनीय है जिसके लिए आपका राजभाषा परिवार बधाई का पात्र है। आशा है पत्रिका राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मौलिक लेखन प्रतिभा को बढ़ावा देने में प्रेरक भूमिका निभाएगी। पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) शिमला, हिमाचल प्रदेश

आपके कार्यालय द्वारा हिंदी पत्रिका, रश्मि के 37-38 संयुक्तांक प्राप्त हुआ। सहर्ष धन्यवाद। इस अंक के आवरण पृष्ठ, साज-सज्जा एवं अन्य कार्यालयीन गतिविधियों से संबंधीत छायाचित्र मनोरम एवं आकर्षक है। इस पत्रिका में समाविष्ट सभी रचनाएँ उत्कृष्ट, मनमोह एवं रोचक है। निम्नलिखित रचनाकारों की रचनाएँ विशेष उल्लेखनीय एवं सराहनीय है।

डॉ. प्रियका बी. गोस्वामी - आस्था, इतिहास और संस्कृति का पवित्र संगम कुंभ, सुश्री यशी श्रीवास्तव - छोरी, सुश्री नयना कुमारी इस्सर - आत्मनिर्भर भारत, श्री विजय गणपतराव डंभारे - मैं और मेरे पिताजी, श्री रवि प्रिंस - भारत की खोज ...?, श्री प्रशांत कुमार साहू - सफलता की परिभाषा, सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु बधाई एवं पत्रिका के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ।

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय (केंद्रीय, मुंबई)

राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में विशेष योगदान देने वाली आपकी कार्यालयीन पत्रिका 'रश्मि' के संयुक्तांक की सॉफ्ट कॉपी ई-मेल द्वारा प्राप्त हुई। पत्रिका पत्रिका में निहित सभी रचनाएँ राजभाषा के प्रति रचनाकारों के प्रेम एवं स्नेह को प्रदर्शित करती हैं। इस संयुक्तांक की सभी रचनाएँ उच्चस्तरीय एवं रोचक हैं। विशेषकर, आस्था, इतिहास और संस्कृति का पवित्र संगम कुंभ, माँ का दर्द, हे सृष्टि, रास्ते में अकेला एवं आत्मनिर्भर भारत आदि। पत्रिका के इस संयुक्तांक के सफल प्रकाशन के लिए संपादक मण्डली को बधाई। शुभकामनाओं सहित ।

प्रधान महालेखाकार (ले व ह) का कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार

आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित हिन्दी पत्रिका रश्मि का 37-38 वां ई-अंक प्राप्त हुआ है। सहर्ष धन्यवाद। पत्रिका में समाहित सभी रचनाए मनोरम व सुंदर हैं। प्रस्तुत अंक सराहनीय, पठनीय एव संग्रहणीय है तथा राजभाषा की उत्तरोतर प्रगति हेतु एक सार्थक प्रयास है। पत्रिका के उत्तम संयोजन, संपादन हेतु संपादक मण्डल को बधाई तथा पत्रिका की अविरल प्रगति तथा विकास हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।

कार्यालय महालेखाकार (ले व ह) उत्तरखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून

आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित 'रश्मि' के संयुक्तांक (37-39 वां) की प्राप्ति हुई। पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएं ज्ञानवर्धक एवं रोचक हैं। पत्रिका का आवरण पृष्ठ एवं पत्रिका में प्रकाशित छायाचित्र अत्यंत आकर्षक और मनमोहक है। साथ ही साथ पत्रिका का कलेवर भी अत्यंत आकर्षक हैं। कविताएं और लेख भी भावपूर्ण, सार्थक तथा मन को छू लेने वाली हैं। इनमें से जो रचनाएँ अति उत्तम लगी वो हैं- माँ का दर्द, मैं और मेरे पिताजी, जय श्रीकृष्ण, हे सृष्टि, बचपन तथा आत्मनिर्भर भारत आदि। आशा करता हूँ कि पत्रिका की गुणवत्ता एवं रचनात्मकता में उत्तरोतर प्रगति जारी रहेगी। पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य तथा आगामी अंकों के लिये बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार, लेखापरीक्षा-II, पश्चिम बंगाल, कोलकाता

पत्रिका में सभी रचनाएँ प्रशंसनीय है विशेष तौर पर 'आस्था इतिहास और संस्कृति का पवित्र संगम कुंभ', 'माँ का दर्द', आदि रचनाएँ सारगर्भित एवं सराहनीय हैं। पत्रिका की साज-सज्जा उत्तम हैं। कार्यालयीन चित्रों ने पत्रिका की सुंदरता को और निखारा है। पत्रिका के कुशल तथा सफल संपादन हेतु संपादक मण्डल को हार्दिक बधाई। पत्रिका के निरंतर उज्ज्वल भविष्य हेतु शुभकामनाएं।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.)

रश्मि 39वाँ अंक

आपके कार्यालय की हिंदी पत्रिका 'रश्मि' के संयुक्तांक (37-39 वां) अंक की प्राप्ति हुई। इसके लिए सादर धन्यवाद। पत्रिका का कलेवर अच्छा है। पत्रिका में सम्मिलित समस्त रचनाए प्रशसनीय एवं ज्ञानवर्धक है। विषशेषतः मेरे और मेरे प्रिय मित्र पर्यावरण के बीच एक सवाद, जय श्रीकृष्ण है सृष्टि, मीडिया, बाजार और उपभोक्तावाद का क्षेत्र त्रिकोण', 'हिंदी दिवस, हे सृष्टि', 'भारत की खोज एवं 'आत्मनिर्भर भारत पठनीय रोचक एवं सराहनीय है। सभी रचनाकारों की प्रस्तुति अच्छी है और इस हेतु सभी रचनाकार बधाई के पात्र है। पत्रिका के इस अंक के बेहतरीन संपादन हेतु संपादक मंडल को हार्दिक बधाई एवं पत्रिका की निरंतर प्रगति के लिए शुभकामनाएं।

क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग, प्रयागराज

पत्रिका के माध्यम से राजभाषा हिंदी के सृजनात्मक उत्थान हेतु आपके कार्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया गया प्रयास अति सराहनीय है। पत्रिका का यह अंक साज-सज्जा एवं मुद्रण स्पष्टता के कारण बहुत ही आकर्षक एवं मनोहारी बन पड़ा है साथ ही पत्रिका में समाविष्ट सभी रचनाएं प्रशंसनीय हैं विशेष तौर पर सफलता की परिभाषा, हिन्दी दिवस एवं आत्मनिर्भर भारत सारगर्भित एवं सराहनीय हैं। पत्रिका की साज-सज्जा उत्तम है । कार्यालयीन चित्रों ने पत्रिका की सुंदरता को और निखारा है। पत्रिका के प्रकाशन हेतु संपादक मंडल एवं रचनाकारों का हार्दिक अभिनन्दन एवं शुभकामनाएँ।

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) लखनऊ, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.)

पत्रिका का आवरण पृष्ठ एवं साज-सज्जा अत्यंत आकर्षक है। पत्रिका में शामिल सभी रचनाएँ पठनीय एवं सराहनीय है। विशेष रूप सेः- डॉ. प्रियंका बी. गोस्वामी का लेख 'आस्था, इतिसस और संस्कृति का पवित्र संगमः कुंभ', सुश्री किरण देवी का लेख 'मेरे और मेरे प्रिय मित्र पर्यावरण के बीच एक संवाद', श्री रवि प्रिंस का लेख 'भारत की खोज......??'. सुश्री रिंकू सिन्हा की कविता 'माँ का दर्द, श्री राजेश कुमार कटरे की कविता 'हे सृष्टि' प्रशंसनीय है। कार्यालयीन गतिविधियों का छायाचित्र देख कर प्रसन्नता हुई। पत्रिका की उत्तरोतर प्रगति व उज्वल भविष्य के लिए हर्दिक शुभकामनाएँ।

महालेखाकार (ले व ह) का कार्यालय, कर्नाटक

पत्रिका का मुख्य पृष्ठ अत्यंत मनमोहक है तथा इसकी आंतरिक साज-सज्जा भी आकर्षक है। पत्रिका में समाहित सभी लेख, कविता, कहानी, संस्मरण आदि ज्ञानवर्धक और रोचक हैं। श्री प्रशांत कुमार साहू की सफलता की परिभाषा , श्री बालकृष्ण अडामे की जय श्रीकृष्ण, श्री रवि प्रिंस की भारत की खोज . सुश्री यशी श्रीवास्तव की छोरी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सारांशतः राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास में इस पत्रिका ने अपनी महती भूमिका का निर्वाह किया है। पत्रिका भविष्य में भी अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, ऐसी कामना है।

महानिदेशक लेखापरीक्षा (खान) का कार्यालय, पश्चिम बंगाल

पत्रिका में सम्मलित सभी रचनाएँ सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। विभिन्न प्रकार की रचनाओं से सजी आपकी पत्रिका हिंदी कार्यान्वय की दिशा में एक स्वर्णिम प्रयास है। इस अंक में प्रकाशित गद्य खंड में ''माँ का दर्द'', ''बचपन'', ''क्या कोई होगा'', विशेष रूप से उल्लेखनीय है। साथ ही पद्य खंड में ''सफलता की परिभाषा'', ''आस्था, इतिहास, और संस्कृति का पवित्र संगमः कुंभ'', ''छोरी'', विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार में विभागीय रचनाकारों को उत्कृष्ट सृजनात्मक मंच प्रदान करने में आपकी इस पत्रिका की भूमिका महत्वपूर्ण है। पत्रिका के सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए बधाई एवं पत्रिका की उत्तरोतर प्रगति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले व ह)-II, महाराष्ट्र, नागपुर

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएँ खासकर डॉ प्रियका बी गोस्वामी का लेख आस्था, इतिहास और संस्कृति का पवित्र संगमः कुंभ, सुश्री किरण देवी का लेख मेरे और मेरे प्रिय मित्र पर्यावयाण के बीच एक संवाद, सुश्री रिंकूसिंहा की कविता माँ का दर्द, श्री अभय अ. सराफ का यात्रा वर्णन नागद्वार यात्रा, श्री रवि प्रिंस का लेख भारत की खोज और श्री मंगेश टोंगो का सुविचार संकलन आदि रोचक, ज्ञानवर्धक एवं प्रशंसनीय हैं। इस पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े सभी रचनाकार एवं संपादक मंडल बधाई के पात्र है। पत्रिका 'रश्मि' की उत्तरोतर प्रगति एवं उज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ ।

महालेखाकार (ले व ह), केरल का कार्यालय, तिरुवनंतपुरम

पत्रिका की साज-सज्जा और विषयों का प्रस्तुतीकरण अत्यंत सुन्दर है। विशेषकर आस्था, इतिहास और संस्कृति का पवित्र संगमः कुंभ, माँ का दर्द, आत्मनिर्भर भारत आदि रचनाएं उत्तम हैं। पत्रिका के माध्यम से राजभाषा हिंदी के उत्थान हेतु आपके द्वारा किया गया प्रयास सराहनीय है। आशा है पत्रिका की गुणवत्ता एवं रचनात्मकता में उत्तरोतर प्रगति जारी रहेगी। पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य और आगामी अंक के लिए बहुत-बहुत शुभकामनायें।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा, चण्डीगढ़

इस पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएं रुचिकर, भावयुक्त एवं उद्देश्यपूर्ण हैं। पत्रिका का आवरण पृष्ठ अति मनोहर एवं आकर्षक है। पत्रिका में सुश्री रिंकूसिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी की रचना 'माँ का दर्द', श्री विजय गणपत राव डंभारे, सहायक पर्यवेक्षक की रचना मैं और मेरे पिता जी' तथा सुश्री यशी श्रीवास्तव, कनिष्ठ अनुवादक की रचना 'छोरी' विशेष रूप से प्रशंसनीय है। पत्रिका को सुरुचिपूर्ण एवं उपयोगी बनाने हेतु संपादकीय परिवार ने पूर्ण प्रयास किए है। पत्रिका के सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए बधाई एवं पत्रिका की उत्तरोतर प्रगति के लिए शुभकामनाएं।

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) पंजाब एवं यू.टी. चंडीगढ़

आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित हिंदी पत्रिका 'रश्मि' का 37-38 वां संयुक्तांक प्राप्त हुआ, एतदर्थ धन्यवाद। पत्रिका का कलेवर व रुपरेखा अत्यधिक आकर्षक है। इस पत्रिका में समाविष्ट सभी रचनाएं उत्कृष्ट, ज्ञानवर्धक और रोचक हैं, विशेषकर निम्नलिखित रचनाकारों की रचनाएँ प्रशंसनीय हैः-

क्र.स.	रचनाकार	रचनाएं
१.	श्री प्रशांत कुमार साहु	सफलता की परिभाषा
२.	सुश्री रिंकू सिन्हा	माँ का दर्द
३.	डॉ. प्रियंका वी. गोस्वामी	आस्था, इतिहास और संस्कृति का पवित्र संगमः कुंभ
४.	सुश्री यशी श्रीवास्तव	छोरी

इस पत्रिका को सफल एवं उच्चकोटि बनाने में योगदान देने वाले सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को हार्दिक शुभकामनाएँ।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), पंजाब, चंडीगढ़

पत्रिका का आवरण पृष्ठ एवं आंतरिक साज-सज्जा सुंदर एवं अत्यन्त आकर्षक है। पत्रिका में समाविष्ट सभी रचनाएं रोचक, ज्ञानवर्धक एवं सराहनीय है। आशा है कि यह पत्रिका हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

पत्रिका के सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए बधाई एवं पत्रिका के उत्तरोतर प्रगति की हार्दिक शुभकामनाएं।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड का कार्यालय, राँची

आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित हिन्दी पत्रिका 'रश्मि' का 37-38 वां अंक की ई-प्रति इस कार्यालय को सहर्ष प्राप्त हुई है। पत्रिका में सम्मलित सभी रचनाऐं पठनीय एवं प्रशंसनीय हैं। विशेष रूप से श्री प्रशांत कुमार साहू का लेख ''सफलता की परिभाषा'', सुश्री रिंकु सिन्हा की कविता ''माँ का दर्द'', डॉ. प्रियंका बी. गोस्वामी का लेख ''आस्था, इतिहास और संस्कृति का पवित्र संगमः कुंभ'', सुश्री नयना कुमारी इस्सर का लेख ''आत्मनिर्भर भारत'' आदि रोचक व ज्ञानवर्धक है। विभिन्न प्रकार की रचनाओं से सजी आपकी पत्रिका हिंदी कार्यान्वयन की दिया में एक स्वर्णिम प्रयास है। पत्रिका के प्रकाशन के सफल प्रयास हेतु शुभकामनाएँ। - धन्यवाद

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा-वाणिज्यिक का कार्यालय, बेंगलुरु

संवैधानिक प्रावधान

भारत के संविधान में राजभाषा से संबंधित भाग-17

अध्याय 1 – संघ की भाषा

अनुच्छेद 120. संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा –

1. भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा।

परंतु, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृ-भाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

2. जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो 'या अंग्रेजी में' शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो ।

अनुच्छेद 210: विधान-मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा –

1. भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा।

परंतु, यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

2. जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो 'या अंग्रेजी में' शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो :

परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधान-मंडलों के संबंध में, यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले 'पंद्रह वर्ष' शब्दों के स्थान पर 'पच्चीस वर्ष' शब्द रख दिए गए हों :

परंतु यह और कि अरूणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधान-मंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले 'पंद्रह वर्ष' शब्दों के स्थान पर 'चालीस वर्ष' शब्द रख दिए गए हों ।

अनुच्छेद 343. संघ की राजभाषा –

1. संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

2. खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था :

परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

3. इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात, विधि द्वारा

a. अंग्रेजी भाषा का, या

b. अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अनुच्छेद 344. राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति –

1. राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।

2. आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को –

a. संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग,

b. संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों,

c. अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा,

d. संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप,

e. संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय, के बारे में सिफारिश करे।

3. खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में, आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।

4. एक समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

5. समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे।

6. अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खंड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश दे सकेगा।

अध्याय 2 – प्रादेशिक भाषाएं

अनुच्छेद 345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं –

अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगाः

परंतु जब तक राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

अनुच्छेद 346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा –

संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी :

परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध –

यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

अध्याय 3 – उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

अनुच्छेद 348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा –

1. इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक –

a. उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी,

b. i. संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के,

ii. संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के, और

iii. इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के, प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।

2. खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगाः

परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी।

3. खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य के विधान-मंडल ने, उस विधान-मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (iv) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

अनुच्छेद 349. भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया –

इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 348 के खंड (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड (4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ही देगा, अन्यथा नहीं।

अध्याय 4 – विशेष निदेश

अनुच्छेद 350. व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा –

प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 350 क. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं –

प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

अनुच्छेद 350 ख. भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी –

1. भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।
2. विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे,

राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

अनुच्छेद 351. हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश –

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्थानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

❏❏❏

हिंदी के प्रख्यात कहानीकार कमलेश्वर

डॉ. प्रियंका बी. गोस्वामी
सहायक निदेशक (राजभाषा)

कमलेश्वर का जीवन वृत्तांत–

हिंदी के प्रख्यात कहानीकार कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना उर्फ कमलेश्वर का जन्म 6 जनवरी, 1932 को उत्तरप्रदेश के मैनपुरी कस्बे के कटरा मुहल्ले में हुआ था। उनके पिता का नाम जगदंबा प्रसाद सक्सेना और माँ का नाम शांति देवी था। वे जमींदार परिवार के थें। उनके बचपन का नाम कैलाश था। लेकिन वे बाद में कमलेश्वर के नाम से ही विख्यात हुए। कमलेश्वर के परिवार में कुल सात भाई थे जिनमें वे सबसे छोटे थे। कमलेश्वर का बचपन काफी कठिनाईयों के बीच गुजरा। उनका परिवार टूटा, बिखरा, सामंतवादी तथा मध्यवर्गीय था। छोटी उम्र में ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। इस संबंध में कमलेश्वर का कहना है– ''एक अमीर कहे जाने वाले घर में गरीब की तरह रहना... खाना खाकर भी भूखे उठना, अकुलाहट भरी दुखों के बीच भी हँस सकना,बच्चा होते हुए भी वयस्कों की तरह निर्णय ले सकना,यह मेरी आदत नहीं मजबूरी थी।(1)''

कमलेश्वर की शादी सन् 1958 ई. में गायत्री से हुई। कमलेश्वर की पहली पुत्री का निधन जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था। इससे उन्हें गहरा मानसिक धक्का लगा। उनकी दूसरी पुत्री का नाम मानू है। कमलेश्वर की पत्नी गायत्री भी लेखिका है।

कमलेश्वर ने हिंदी साहित्य में पद्य को छोड़कर गद्य की लगभग सभी विधाओं को समृद्ध किया है। उपन्यास, कहानी, नाट्य रूपांतर से लेकर संस्मरण, समीक्षा, लेख, स्क्रिप्ट लेखन, संवाद लेखन आदि लगभग सभी विधाओं में उन्होंने हाथ आजमाया है। कहानी विधा के क्षेत्र में कमलेश्वर के योगदान के बारे में यहाँ विस्तृत वर्णन किया गया है–

कहानीकार के रूप में कमलेश्वर–

कमलेश्वर हिंदी साहित्य की कहानी विधा में प्रेमचंद के रूप में अवतरित हुए हैं। कहानीकार कमलेश्वर का लेखन 1951 से प्रारंभ होता है। प्रारंभ में उन्होंने छिटपुट लेखन कार्य किया। उनकी पहली कहानी है 'कामरेड', परंतु 'सींखचे' कहानी पहले छपी थी। उनका पहला कहानी संग्रह 'राजा निरबंसिया' सन 1957 में प्रकाशित हुआ। उनके कुल नौ कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, उन्होंने लगभग 100 कहानियाँ लिखी हैं।

कमलेश्वर के कहानी संग्रह इस प्रकार हैं–राजा निरबंसिया (1956), कस्बे का आदमी (1958), जॉर्ज पंचम की नाक, मांस का दरिया (1963-64), खोई हुई दिशाएँ (1963), बयान (1972), जिंदा मुर्दे (1969), मेरी प्रिय कहानियाँ (1972), श्रेष्ठ कहानियाँ, कथा प्रस्थान (प्रारंभिक वर्षों की श्रेष्ठ कहानियाँ), कोहरा (1994), कमलेश्वर की समग्र कहानियाँ (2001)।

कमलेश्वर की कथा–यात्रा को कुछ इस रूप में बाँटा जा सकता है–

पहला दौर – परंपरा से विद्रोह और अनुभव क्षेत्र

की प्रामाणिक पहचान (सन 1952 से 1959 ई. तक)

दूसरा दौर – समय संगत यर्थात् का स्वीकार – दारुण विसंगत संदर्भों की समझ (सन् 1959-60 से 1966 ई. तक)

तीसरा दौर – सामान्य आदमी की नियति से जुड़ा मनुष्य के साथ समानांतर चलने का उपक्रम (सन 1966-67 से 1976) (2)

चौथा दौर – देश और दुनिया के ज्वलंत प्रश्नों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर गंभीर विचार (सन् 1986 से 1989 तक)

कमलेश्वर जी की कथा यात्रा के चार पड़ाव मिलते हैं–

1. मैनपुरी से इलाहाबाद
2. इलाहाबाद से दिल्ली
3. दिल्ली से मुंबई
4. मुंबई से दिल्ली

कमलेश्वर की कथा–यात्रा का पहला दौर–

कमलेश्वर के कहानी लेखन का प्रथम दौर सन् 1952 से 1959 तक का है। इस दौर में कमलेश्वर इलाहाबाद और मैनपुरी से जुड़ कर कहानियाँ रचते रहे थे। सन् 1950 तक की सारी कहानियाँ मैनपुरी में ही लिखी गईं। बस कुछेक ही इलाहाबाद में लिखी गईं। उनकी इस दौर की कहानियाँ 'राजा निरबंसिया' और 'कस्बे का आदमी' में संग्रहित हैं। कमलेश्वर के प्रथम दौर की श्रेष्ठ कहानियाँ– 'राजा निरबंसिया', 'कस्बे का आदमी', 'गर्मियों के दिन' तथा 'नीली झील' जिन्हें उन्होंने मैनपुरी एवं इलाहाबाद में रचा। 'नीली झील' कहानी हालांकि बाद के संकलन में है परंतु इस कहानी को वे प्रथम दौर की अंतिम कहानी कहते हैं।

इस दौर को वे अपने 'कथा स्रोतों की पहचान और अपने परिवेश में जीने का उपक्रम कहते हैं' (3)। साथ ही इस दौर में 'अनुभव के क्षेत्र की प्रामाणिक पहचान' का प्रयत्न भी कर रहे हैं (4)।

कमलेश्वर की प्रथम दौर की कहानियों में प्रमुखतः कस्बे के जीवन का ही चित्रण मिलता है। इस दौर के पात्र जीवन के साक्षात अनुभवों से उठे पात्र हैं। कमलेश्वर की इन कहानियों में चित्रित कस्बा तत्कालीन भारत के किसी भी कस्बे का प्रतिनिधित्व करता है। इन कहानियों में चित्रित कथावस्तु, घटनाएं, संवेदनाएं, सुख–दुख, आशा–निराशा कमलेश्वर के इर्द–गिर्द की दुनिया से ही लिए गए थे। कहानी–कला की दृष्टि से भी ये कहानियाँ पृथक दिखाई पड़ती हैं। इन कहानियों में कथ्य का विस्तार है, घटनाओं का वैविध्य है तथा वातावरण का सूक्ष्म एवं प्रभावकारी चित्रण है।

कमलेश्वर के इस दौर के कहानी-संग्रह हैं– 'राजा निरबंसिया' और 'कस्बे का आदमी'।

कमलेश्वर की कथा–यात्रा का दूसरा दौर–

कमलेश्वर की कथा–यात्रा के दूसरे दौर की कहानियाँ सन् 1959 से 1966 तक मानी जाती हैं। इस दौर की कहानियाँ कमलेश्वर का महानगर दिल्ली में आगमन होने से प्रारंभ हुआ। महानगरीय जीवन की

अस्थिर, छटपटाहट व बेचैनी इन कहानियों में दिखाई पड़ती है। यह दौर नई कहानी आंदोलन से जुड़े लेखन का है जिसमें कथ्य को केंद्र में लाकर कहानी को नया स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा था। इस दौर की कहानियों में सहज मानवीयता है तथा जीवंत वातावरण चित्रित किया गया है। इसमें प्रगतिशीलता और मानवीय संवेदना के साथ नारी पात्रों में छटपटाहट महसूस की जा सकती है। कमलेश्वर के अनुसार 'व्यक्ति के दारुण और विसंगत संदर्भों को समय के परिप्रेक्ष्य में समझने के साथ ही अनुभव के समय संगत संदर्भ को स्वीकार कर अभिव्यक्त करने का दौर है' (5)।

कथ्य एवं शिल्प की दृष्टि से इस दौर की कहानियों को श्रेष्ठ माना जा सकता है।

इस दौर के तीन कहानी संग्रह हैं- 'खोई हुई दिशाएँ', 'माँस का दरिया' एवं 'जिंदा मुर्दे'।

इस दौर की कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ हैं- 'दिल्ली में एक मौत', 'खोई हुई दिशाएँ', 'तलाश' तथा 'माँस का दरिया'।

कमलेश्वर की कथा-यात्रा का तीसरा दौर-

कमलेश्वर की तीसरे दौर की कथा यात्रा सन् 1967 से 1976 तक की है जो मुंबई शहर से जुड़ी हुई है। यह दौर समांतर आंदोलन की पृष्ठभूमि का है। 1966 दिसंबर में कमलेश्वर 'सारिका' पत्रिका की संपादकीय संभालने के लिए बंबई आ गये थे। तीसरे दौर के विषय में स्वंय कमलेश्वर कहते हैं- 'यातनाओं के जंगल से गुजरते मनुष्य के साथ और समांतर चलने का यह तीसरा दौर है अर्थात् अनुभव के अर्थों तक जाने की कोशिश यहाँ है (6)। यह दौर आम आदमी की स्थिति व नियति से जुड़े लेखन का काल है। इन कहानियों के जरिए कमलेश्वर ने आम आदमी से सीधे जुड़ने व समांतर जीने का प्रयास किया है। सांस्कृतिक संकट तथा मूल्य संक्रमण आदि विषयों का सम्यक चित्रण कमलेश्वर ने तीसरे दौर की कहानियों में किया। इस दौर का कहानी संग्रह है- 'बयान तथा अन्य कहानियाँ'। इस दौर की कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ- 'कितने पाकिस्तान', 'मानसरोवर के हंस', 'इतने अच्छे दिन' इस संग्रह में नहीं छपी थीं परंतु फिर भी लोकप्रिय हुईं। इस दौर की कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ हैं- 'नागमणि', 'बयान', 'आसक्ति', 'ब्रीच कैंदी', 'जोख़िम', 'लाश', 'रातें', 'अपना एकांत', 'इतने अच्छे दिन', 'मैं', 'चार महानगरों का तापमान' इत्यादि।

कमलेश्वर की कथा-यात्रा का चौथा दौर-

सन् 1976 से सन् 1986 तक कमलेश्वर की कथा-यात्रा स्थगित थी। लेकिन सन् 1986 के पश्चात् उन्होंने फिर से कहानीकार के रूप में अपनी कलम उठाई। यह वह समय था जब वे बम्बई की ऐश्वर्यपूर्ण दुनिया से उकता कर सन् 1980 ई. में पुनः दिल्ली लौट आए। 1986 से 1989 तक लिखी हुई कहानियाँ 'इतने अच्छे दिन' नामक कहानी-संग्रह में हैं। इस दौर में उन्होंने लगभग 25 कहानियाँ लिखी हैं जो कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से अनूठी हैं। इस दौर की कहानियाँ न ही कस्बे के भोलेपन को ध्वनित करती हैं न

ही महानगर के अजनबीपन को। इस दौर में वे आंदोलन या किसी पंथ से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से कहानी रचने में जुट गए थे। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से देश और दुनिया के ज्वलंत प्रश्नों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर गंभीर विचार प्रस्तुत किए हैं।

'मेरा भारत महान' कहानी में कमलेश्वर ने अपने इस रचना समय को इस रूप में इंगित किया है– 'यह वह दौर था जब मैं अधिकांश फिल्में लिखना छोड़ रहा था और नई फिल्में साइन नहीं कर रहा था। मैं अपना अधिकांश समय पत्रकारिता और लेखन में लगाना चाहता था' (7)।

कमलेश्वर की कथा-यात्रा का चौथा दौर यहीं से प्रारंभ माना जा सकता है। वे स्वंय कहते हैं– 'दिल्ली लौट कर आने को मेरे रचना काल का चौथा दौर कहा जा सकता है। इस दौरान मुझे 'इंतजार', 'वीपिंग विडो', 'कोहरा', 'हवा है हवा की आवाज नहीं है', 'सफेद सड़क', 'अपने देश में', 'इतिहास कथा', 'तुम कौन हो', 'रावल की रेल', 'आजादी मुबारक', जैसी कहानियाँ लिखने का मौका मिला। यह क्रम अभी भी जारी है'(8)।

चौथे दौर की कुछ श्रेष्ठ कहानियाँ हैं– 'तुम्हारा शरीर मुझे पाप के लिए पुकारता है', 'सफेद सड़क', 'हवा है हवा की आवाज नहीं है', 'अपने देश में', 'कोहरा', 'दलचीनी के जंगल', 'अजीत', 'इंतजार' इत्यादि।

कमलेश्वर स्वतंत्रता के पश्चात् के सजग व सक्षम कथाकार हैं। उन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात् उभरे हुए कहानी आंदलनों में से नई कहानी एवं समांतर कहानी आंदोलन के साथ जुड़कर कहानी लेखन किया है। उन्होंने हमेशा समाज से जुड़कर ही अपनी कहानियों का सृजन किया है, चाहे वह कस्बा हो, महानगर हो या आम आदमी की पीड़ा। उनकी कहानियों में समाज का परिवर्तित मूल्य ध्वनित होता है।

अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि कमलेश्वर अपने समय के एक मूधन्य कहानीकार होने के साथ साथ समाज के सजग प्रहरी भी हैं जिन्होंने समकालीन समस्याओं को अपनी कहानियों के माध्यम से बड़ी बेबाकी से उठाया है।

संदर्भ सूची–

(1) *सं मधुकर सिंह,कमलेश्वर (आईने के सामने कमलेश्वर),पृ. 77*

(2) *कमलेश्वर कहानी का संदर्भः पुष्पपाल सिंह, पृ.22-23*

(3) *मेरी प्रिय कहानियाँ: कमलेश्वर, पृ.7 (भूमिका)*

(4) *मेरी प्रिय कहानियाँ: कमलेश्वर, पृ. 7*

(5) *मेरी प्रिय कहानियाँ: कमलेश्वर, पृ. 7*

(6) *कहानीकार कमलेश्वर संदर्भ और प्रकृतिः सूर्यनारायण मा. रणसुभे, पृ.75*

(7) *मेरा भारत महान, समग्र कहानियाँ, पृ. 672*

(8) *भूमिका, समग्र कहानियाँ, प्रथम संस्करन, 2002*

❑❑❑

ज़िंदगी के साथ ही ...

सुश्री नीना वर्मा
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

जीवन बीमा निगम का ये स्लोगन हम सब ने सुना ही है, ''ज़िंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।'' इसी से प्रेरणा ले कर मैं अपनी बात आप सब के सामने रख रही हूँ।

ज़्यादातर लोग नामांनकन द्वारा उनकी संपत्ति का (मृत्यु के बाद) कैसे बंटवारा होगा या पूरी संपत्ति किसे मिलेगी ये तय करते है। कभी कभी इच्छापत्र (Will) द्वारा भी यह किया जाता है। ये बात तब तक ठीक है जब आपका कोई वारिस हो, पर आज के परिवेश में बहुत ज्यादा सम्पन्न परिवारों में, या जहाँ एक या दो ही बच्चे हों और वो भी बड़े ओहदे पर हों, और उन्हें अपने माता-पिता की संपत्ति की जरूरत ना हो तो ऐसे लोगों को अपनी संपत्ति का अपने जीते जी ही सदुपयोग करना चाहिए जैसे किसी होशियार बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाना, किसी जरूरतमन्द बच्ची की पौलिसी भरना जो उस बच्ची की पढ़ाई या शादी में काम आ सके। किसी अच्छे एनजीओ को नियमित दान देना, सेना की किसी निधि में योगदान देना आदि। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको ईश्वर ने इस लायक बनाया है कि हम किसी के काम आ सके, और अगर अपनी जिंदगी बहुत बढ़िया तरीके से जीने के बाद भी हमारे पास पर्याप्त संपत्ति है जो हमारे जाने के बाद किसी के काम की ना हो और वो यूँ ही सरकार के पास वापस चली जाए तो हमें चाहिए कि अपना भविष्य सुरक्षित करने के बाद हम धीरे धीरे समाज को कुछ देना शुरू करें। इससे दो बातें होंगी एक तो हमे कुछ अच्छा करने का समाधान मिलेगा साथ ही किसी की मदद होगी! और ये मैं सिर्फ सीख नहीं दे रही हूँ मैं खुद इस बात पर अमल कर रही हूँ। और 3 बच्चियों का भविष्य बनाने में योगदान दे रही हूँ, बहुत ज्यादा तो नहीं पर कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ।

❑❑❑

होरी खेलन श्याम

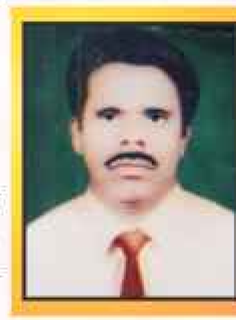

श्री मनोज बिनकर
लिपिक

होरी खेलन श्याम मोर घर आवो रे
राधा गोपी संग मोरे घर आवो रे
पिचकारी रंग भरकर के खेले ब्रज में होरी
होरी का गुलाल प्रभु डाल नंदलाल मोये
आवो बिहारीलाल हो
राधा भीगे सारी तुमसे खेले ब्रज में होरी
मृदंग बाजे लाल तेरा रंग बेमिसाल नीला
आवो गिरीधारी लाल हो
गोपी संग मुरली सुनाई सब रसरंग में डोले
मुरली की सुंदर तान मेरी आन बान शान
तेरा नखरा सुंदर लाल हो
तुमने रंग लगाया उसका बेड़ा पार लगाया
ग्वाल नंदलाल तोरे गाल का गुलाल दे दो
थोड़ा गुलाल भाल हो
ब्रज में धूम मचाई तुमने ऐसा रंग लगाया
मनवा चाहे है लाल नंदलाल दो गुलाल
थोड़ा मोये डारो गुलाल हो
होरी खेलन श्याम मोरे घर आवो रे
राधा गोपी संग मोरे घर आवो रे

❑❑❑

मन्नत की पहली बारिशः एक मासूम नजरिया

श्रीमती नारंगी मीना
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

तीन साल की मेरी बेटी मन्नत बड़ी ही चुलबुली, नटखट और प्यारी है।

खिलौनों में उसे टेडी बियर बहुत पसंद है, खाने में मीठा और मौसम में बारिश। रिमझिम बारिश देखकर वह खुशी से झूम जाती है। उसका मन करता है कि वह घंटों बारिश होते देखे। वैसे मन तो भीगने का भी करता है पर मैं उसे ज्यादा देर बारिश में भीगने नहीं देती। डर लगता है कही तबीयत खराब ना हो जाए उसकी। पर आज तो मानो ऐसा लग रहा था इन्द्र देव भी उसी की सुन रहे हो। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। मन्नत खिड़की के पास बैठी, बाहर के बदलते मौसम को देख रही थी। धीरे-धीरे बूंदें गिरने लगीं, और जल्द ही बारिश तेज हो गई। मन्नत की आँखों में चमक आ गई।

मन्नत बरामदे में आई और हाथ बढ़कर बारिश की बूंदों को मुट्ठी में लेने का प्रणाम कर ही रही थी। उसी समय मैं तेज़ स्वर में बोलीं, ''बेटा, जल्दी से अंदर आओ। भीग गई तो बीमार पड़ जाओगी।'' मेरी आवाज़ तो सुनाई दे रही थी उसे, लेकिन ना सुनने का बहाना करते हुए वह बोली, ''क्या मम्मी, आप क्या बोल रहे हो?'' मैंने आवाज दी, ''वहीं जो आप सुन रहे हो, जल्दी अंदर आओ।'' इतना सुनते ही अपने दोनों कानों में उंगली डालते हुए, ''क्या मम्मी, क्या बोल रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा।'' मैं उसकी हरकत देखके मन ही मन मुस्कुरा रही थी। जब वह अपने कान से उंगली हटाएगी तब ही तो सुनेगी। पर सच तो यह था की उसे आज सुनना ही नहीं था। मुझे कही न कहीं उसकी तबीयत की चिंता भी हो रही थी इसलिए मैं उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ के अंदर ले आई और फिर खिड़की से ही बारिश दिखाने लगी। नाराजगी दिखाते हुए वह बोली,'' आप तो रहने ही दो मम्मा'' इतना कहते हुए वह मुंह फुलाकर बरामदे में रखी अपनी छोटी सी कुर्सी पर बैठ गई, पर उसका मुंह ज्यादा देर फूला नहीं रह पाया। थोड़ी देर बाद वह मेरे पास आई और प्यार से मुझे गले लगाया फिर धीरे से मेरे कान में बोली, ''मम्मा, प्लीज नहाने दो ना'' अपनी एक उंगली दिखाते हुए ''बस एक बार ही नहाऊँगी।'' मैं बस उसकी मासूमियत ही देखती रही।

फिर क्या था मैं भी खुद को ज्यादा देर कठोर नहीं बना पाई और ना चाहते हुए भी हाँ बोलते हुए सिर हिला दिया। हाँ सुनते ही उसका चेहरा देखने लायक था। वह खुशी में कूदने लगी। उसकी यह खुशी मैं बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी और उसे खुश देखके मैं खुद भी खुश हो रही थी।

उसका मन हमेशा नई चीजों को जानने और समझने के लिए भी उतना ही उत्सुक रहता है जितना कि बारिश में नहाने को। यह दिन उसके लिए खास था, क्योंकि यह इस साल की पहली बारिश थी।

''मम्मी, ये पानी कहाँ से आ रहा है?'' उसने उत्सुकता से पूछा।

मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ''बेटा, ये बादल हैं जो आसमान में इकट्ठा होते हैं और जब भारी हो जाते हैं, तो पानी की बूंदें बनकर जमीन पर गिरते हैं, इसे बारिश कहते हैं।''

मन्नत ने फिर पूछा, ''क्या कोई ऊपर से पानी गिरा रहा है?''

मैंने हंसते हुए कहा, ''नहीं बेटा, ये प्रकृति का एक चमत्कार है। बादल खुद ही पानी छोड़ते हैं।''

''मैं बाहर जाकर नहा सकती हूँ?'' मन्नत ने फिर से एक प्यार भरी आवाज में पूछा।

इसके लिए तो में पहले ही हाँ बोल चुकी थी, फिर भी मैंने उसे बस थोड़ी देर नहाने के लिए बोल दिया।

मन्नत की खुशी आज सातवे आसमान पे थी। हम दोनों बाहर निकले, और उसने पहली बार बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस किया। वह खुशी से उछलने लगी, पानी में छप-छप करती रही।

''मम्मी, ये बूँदें इतनी ठंडी क्यों हैं?'' उसने पूछा।

''क्योंकि ये आसमान से आती हैं, जहाँ हवा ठंडी होती है,'' मैंने समझाया।

उसने देखा कि सड़क पर पानी बह रहा है। उसने पूछा ''मम्मी, ये पानी कहाँ जा रहा है?''

''ये नालियों के जरिए नदी में जाता है, और फिर समुद्र में मिल जाता है,'' मैंने जवाब दिया।

उसने देखा कि कुछ बच्चे कागज की नावें बना रहे हैं। वह भी उनके पास गई और एक नाव बनाने लगी। मैंने उसकी मदद की, और जल्द ही उसकी नाव भी पानी में तैरने लगी।

''मम्मी, ये नाव कैसे तैर रही है?'' उसने पूछा।

''क्योंकि ये हल्की है और पानी की सतह पर तैर सकती है,'' मैंने जवाब दिया।

उसने आसमान की ओर देखा और कहा, ''मम्मी, बादल इतने बड़े क्यों होते हैं?''

''क्योंकि वे बहुत सारी पानी की बूंदों से बने होते हैं'' मैंने जवाब दिया।

दिन भर मन्नत ने मुझ से ऐसे कई सवाल पूछे, और मैंने धैर्यपूर्वक हर सवाल का जवाब दिया। उसकी पहली बारिश उसके लिए ज्ञान और खुशी का स्रोत बन गई।

जब बारिश थम गई, उसने मुझ से कहा, ''मम्मी, आज का दिन बहुत अच्छा था। मैंने बहुत कुछ सीखा।''

मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, ''हाँ बेटा, प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, बस हमें उसके साथ जुड़ना होता है।''

❏❏❏

राजभाषा नियम, 1976

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976

(यथा संशोधित, 1987, 2007 तथा 2011)

सा.का.नि. 1052– राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है. अर्थातः

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**

   a. इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 है।

   b. इनका विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

   c. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएँ– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:**

   a. अधिनियम से राज अधिनियम 1963 (1963 को 19) अभिप्रेत है:

   b. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है अर्थात:

   c. केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय:

   d. केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय, और

   e. केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कम्पनी का कोई कार्यालय;

   f. कर्मचारी से केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है:

   g. अधिसूचित कार्यालय से नियम 10 के उपनियम (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय, अभिप्रेत है;

   h. हिन्दी में प्रवीणता से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है:

   i. 'क्षेत्र क' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

   j. 'क्षेत्र ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं;

   k. 'क्षेत्र ग' से खंड (च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

   l. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है।

3. **राज्यों आदि और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि**

1. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र क में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिन्दी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

2. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से

a. क्षेत्र 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) को पत्रादि सामान्यतया हिन्दी में होंगे और यदि इनमें से किसी को कोई पत्रादि में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा परन्तु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के लिए। आशयित पत्रादि संबद्ध राज्य या संघ राज्यक्षेत्र

की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिन्दी में भेजे जाएं और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे;

b. क्षेत्र 'ख' के किसी राज्य या संघ राज्य में किसी को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

3. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे।

4. उप नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, 'क्षेत्र ग' में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' या 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। परन्तु हिन्दी में पत्रादि ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करें।

4. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि

a. केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं,

b. केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र 'क' में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार, ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे;

c. क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच, जो खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालयों से भिन्न हैं. पत्रादि हिन्दी में होंगे,

d. क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं.

परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करेः

e. क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।

परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करेः

परन्तु जहाँ ऐसे पत्रादि

i. क्षेत्र 'क' क्षेत्र 'ख' किसी कार्यालय को संबोधित है वहां यदि आवश्यक हो तो, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा;

ii. क्षेत्र 'ग' में किसी कार्यालय को संबोधित है वहां, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, उनके साथ भेजा जाएगा;

परन्तु यह और कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबंधित है तो दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

5. **हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर –**

नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी,हिन्दी में पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में हिन्दी में दिए जाएंगे।

6. **हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग –**

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करते कि ऐसी दस्तावेजें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार की जाती है, निष्पादित की जाती है और जारी की जाती है।

7. **आवेदन, अभ्यावेदन आदि –**

1. कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।
2. जब उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में किया गया हो या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए हो, तब उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।
3. यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी है) से संबंधित कोई आदेश या सूचना, जिसका कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, हिन्दी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक विलम्ब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

8. **केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणों का लिखा जाना –**

1. कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करें।
2. केन्द्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी, जो हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिन्दी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नहीं।
3. यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा।
4. उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा, जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण ओर ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा।

9. **हिन्दी में प्रवीणता –**

यदि किसी कर्मचारी ने –

a. मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है ; या
b. स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो ; या
c. यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है ;

तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

10. **हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान –**

1. a. यदि किसी कर्मचारी ने –

   i. मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है ; या

ii. केन्द्रीय सरकार की हिन्दी परीक्षा योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के सम्बन्ध में उस योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

iii. केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

b. यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

2. यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिन्दी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

3. केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।

4. केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख में से उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोपित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा।

11. मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि–

1. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

2. केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे।

3. केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी. मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकती है।

12. अनुपालन का उत्तरदायित्व –

1. केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह –

(i) यह सुनिश्चित करें कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है; और

(ii) इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करे।

2. केंद्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय–समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है।

[भारत का राजपत्र भाग–2, खंड 3, उपखंड (1) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

सद्गुरु कौन?

श्री विनय भूषण
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

गुरु तीन प्रकार के होते हैं – लौकिक गुरु, वैदिक गुरु व परमार्थिक गुरु। उनके कार्य और महत्ता भी उनके प्रकार के अनुसार अलग-अलग हैं। इसमें पहले दो गुरु संसार में हमेशा विद्यमान रहते हैं किन्तु जो परमार्थिक गुरु है वो हमेशा संसार में नहीं मिलते हैं। वो एक विशेष कालखंड में ही ईश्वर के आदेश व इच्छा से संसार में प्रकट होते है।

प्रथम लौकिक गुरु हमारे माता पिता होते हैं जो हमें लोकाचार सिखाते हैं। इसके अलावा जब हम विद्यार्जन के लिए स्कूल कॉलेज जाते हैं वहाँ हमें अलग-अलग विषयों के लिए जो गुरु मिलते हैं वो भी लौकिक गुरु की श्रेणी में ही आते हैं। वैदिक गुरु से हम प्राकृतिक पूजा की पद्धति, धर्मशास्त्र का ज्ञान व कर्मकांड सीखते है। इनके द्वारा ही विविध संस्कार जैसे जन्म, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह और मृत्यु संस्कार संपन्न कराये जाते है। तीसरे और दुर्लभ श्रेणी के जो गुरु होते हैं वो परमार्थिक गुरु होते हैं। उन्हें ही सद्गुरु कहते हैं। उनका प्रकटकाल एक विशेष कालखंड में होता है। वो संसार में हमेशा नहीं रहते हैं। वो परमार्थ के लिए ईश्वर की आज्ञा और उनकी शक्ति लेकर संसार में प्रगट होते है। इन्हीं से हमें अपने निज स्वरूप अर्थात आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। ये जीवों के आध्यात्मिक मार्ग के पथ प्रदर्शक होते है। ये एक कालखंड में एक ही होते है। सद्गुरु की वाणी है –

भूले हुए जगजीव को निज घर दे पहुँचाए
पथ प्रदर्शक विश्व का सद्गुरु देव कराय

जीव संसार में आकर अपने लक्ष्य से भटक गया है। उसे अपने लक्ष्य को याद करा के उसका पथ प्रदर्शन करके उसे अपने घर पहुँचा देते हैं। सद्गुरु की महिमा वेद, गीता, रामचरित मानस आदि सभी धर्म ग्रंथों में खुद गाई गई है। मानस में तुलसीदासजी गुरु की महिमा के बारे में कहते है –

बंदऊँ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नररूप हरि
महामोह तम पुंज, जाए बचन रबि कर निकट

सद्गुरु नर के रूप में हरि होते है। मानस में ही तुलसीदासजी कहते हैं –

''विधि हरि हर कवि कोकिल वाणी

महिमा साधु कहत सकुयानी'' अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी साधु यानि सद्गुरु की महिमा नहीं गा पाए । गीता में भगवान शिव पार्वती को सद्गुरु के विषय में कहते हैं –

''ध्यानमूलम् गुरुर्र मूर्ति, पूजामूलम् गुरुर्र पदम्

मंत्रमूलम् गुरुर्र वाक्यम्, मोक्षमूलम् गुरु कृपा'' अर्थात ध्यान, पूजा, मंत्र और मोक्ष सब कुछ सद्गुरु पर आश्रित है। सद्गुरु का द मनमुखी पद नहीं अपितु नित्य अनादि सद्गुरु द्वारा ही सद्गुरु का पद दिया जाता है।

जीवन में सद्‌गुरु की प्राप्ति होने पर ही जीवों का भक्ति और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

माया छुड़ाए के चेतन लोक निवास
सद्‌गुरु ताको जानिये भक्ति, मुक्ति जेहि पास

मनुष्य जीवन का लक्ष्य और प्रधान कर्तव्य ईश्वर की प्राप्ति है। इस लक्ष्य की उपलब्धि विना सद्‌गुरु की प्राप्ति हुए संभव ही नहीं है। साहेब की इस वाणी को देखें-

गुरु मिला तो सब मिला नहिं तो मिला ना कोय
मात पिता सुत वांधवा यह तो घर होय

जीवन में सद्‌गुरु की प्राप्ति होने पर ही चारों फल - अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सद्‌गुरु विहीन जीवन ठीक वैसा ही है जैसा रेगिस्तान में मृग मरीचिका को ढूँढते-ढूँढते अंत में जीवनलीला समाप्त हो जाती है और अंत में हाथ कुछ नही लगता। साहेब की इस पंक्ति को देखे -

क्या किया इत आये के क्या करे उत जाये
इत के भये ना उत के भयेचले जो भूल गाये

सद्‌गुरु ही जीवों को त्रयताप से मुक्त कर आवागमन छुड़ाते है और परमानंद की उपलब्ध कराते हैं और अंत में उसको चेतनलोक या अमरलोक पहुँचाते हैं।

❑❑❑

देह से लिपटा रहा

श्री विजय इस्सर 'वत्स'
पिता - सुश्री नयना इस्सर
कनिष्ठ अनुवादक

देह से लिपटा रहा मन को नहीं पहचान पाया
जिस्म से खेला मगर रुह को अभी ना जान पाया
भीड़ चारों ओर थी आते रहे जाते रहे सब
अजनबी सा बीच में खुद को खड़ा अनजान पाया

बोलते हँसते हुए मशगूल थे दस्तूर में सब
सेहरे के साथ हीं सबके मगज़ शैतान पाया
अब गरीबी पे दया क्या भर गया है पेट सबका
मांग कर थकता भिखारी कार वाला दान पाया

मर रहा जिसके लिए मैं वो सभी नाराज़ मुझसे
कर दिया थोड़ा कि सबका हीं बढ़ा अरमान पाया
एक छोटी भूल पे सबका चढ़ा तेवर हमीं पे
मारते ताना सभी से व्यंग्य का मुस्कान पाया

जिंदगी के बोझ को ढोते हुए हर आदमी को
ढोंग करके वो शराफत से ठगा हर आदमी को
हम समझते थे जिसे इंसान अल शैतान पाया।
आदमीयत मार कल पुर्जा बना बेजान पाया

आम से वह ख़ास होकर कट गया हर आदमी से
पत्थरों में कैद है उसका महल वीरान पाया
जिंदगी के कैद में हर आदमी है 'वत्स' कैदी
सिर्फ जीने के लिए बिकता हुआ ईमान पाया

❑❑❑

प्रशासनिक शब्दावली

Accountability	जवाब देही
Ad hoc	तदर्थ
Appendix	परिशिष्ट
Attestation	साक्ष्यांकन
Bonafide	वास्तविक
Charge	प्रभार
Compensation	क्षतिपूर्ति
Confirmation	पुष्टि
Ex-officio	पदेन
Honararium	मानदेय
Initials	आद्यक्षर
Joining Report	कार्यग्रहण रिपोर्ट
Modus Operandi	कार्य प्रणाली
Officiating	स्थानापन्न
Proceedings	कार्यवाही
Returning Officer	निर्वाचन अधिकारी
Stagnation	गतिरोध
Verification	सत्यापन
Adjustment	समायोजन
Automatic	स्वचालित
Exchange	विनिमय
Guarantee	प्रत्याभूति
Insolvency	दिवाला/ दिवालियापन
Investment	निवेश
Invoice	बीजक
Lease	पट्टा
Lumpsum	एकमुश्त
Manuscript	पांडुलिपि
Morgage	गिरवी/बंधक
Ownership	स्वामित्व
Partnership	साझा/साझेदारी
Rectification	परिशोधन
Recurring	आवर्ती
Depositor	जमाकर्ता
Dividend	लाभांश
Drawee	अदाकर्ता
Exchange	विनिमय
Account Circle	लेखा-परिमंडल
Account Code	लेखा संहिता
Account Procedure	लेखा प्रक्रिया
Acquittance roll	वेतन चिट्ठी, निस्तारण पत्र
Amenities	सुविधाएँ
Audit Instruction	लेखा परीक्षा अनुदेश, संपरीक्षा अनुदेश
Balance Closing	अंत शेष, इति शेष
Balance Opening	आदि शेष, आरंभिक शेष
Contributory Provident Fund	अंशदायी भविष्य निधि
Disbursement	संवितरण
Embezzlement	गबन
Emoluments	परिलब्धियाँ
Impreset	अग्रदाय
Indent	मांग-पत्र
Major Head	मुख्य शीर्ष
Minor Head	लघु शीर्ष
Utilization Certificate	उपयोग प्रमाण पत्र
Comptroller and Auditor	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
General of India	
Accountant General	महालेखाकार
Additional Accountant General	अपर महालेखाकार
Accounts Officer	लेखा अधिकारी
Auditor	लेखा परीक्षक

❑❑❑

आधुनिकता में प्राचीनता की ओर

श्री राजेश कुमार कटरे
वरिष्ठ अनुवादक

हमें स्वस्थ रहने के लिए प्रकृति के एक निश्चित तंत्र के साथ प्राचीन परंपराओं के अनुसार साम्य स्थापित करके चलना चाहिए। जैसे कि प्रतिदिन सुबह उठकर धरती माँ को शीश झुकाकर धरती पर होने के प्रति आभार मानकर सुबह की शुरुआत की जाए तो पूरा दिन स्वस्थ, सफल और सकारात्मक ऊर्जा के परिपूर्ण होगा। आज के दौर में मोबाइल, कँम्यूटर, टेलीविजन जैसे यंत्रों ने समूची मानव जाति को इस प्रकार अपने वशीभूत कर लिया है जैसे इनके बिना जीवन असंभव है। यदि वर्तमान परिदृश्य में ऐसे संसाधनों के बिना जीवन असंभव है तो इनका प्रयोग आवश्यकतानुसार सीमित रूप से करना चाहिए। देर रात तक इन आधुनिक डिजिटल यंत्रों में गड़ी नजरें न सिर्फ ईश्वर प्रदत्त अमूल्य दृष्टि को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि पूरी दिनचर्या को भी प्रभावित कर रहे हैं। देर रात तक जागने वाले व्यक्ति बेशक सुबह देर से उठेंगे और यदि देर से नहीं उठेंग तो नींद पूरी नहीं होगी। उक्त दोनों ही परिस्थितियों में ऐसे व्यक्तियों की दिनचर्या तुलनात्मक रूप से आलस्यपूर्ण रहती है।

आधुनिकता की अंधाधुंध दौड़ में और बदलते परिवेश में लोग एक दूसरे की नकल करने में इस प्रकार उलझ गए हैं कि अच्छे बुरे में अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं। पास में पड़ोस की भी दुकान से कुछ खरीदना है तो लोग मोटरसाइकल से जाते हैं जबकि हमारा शरीर ही एक ऐसा तंत्र है जिसे जितना अधिक चलाएँगे उसकी क्षमता उतनी ही ज्यादा विकसित होगी। हमारे पैर एक प्रकार से पहिया का काम करते हैं जो शरीर रूपी बैटरी को सुचारु रूप से संचालित करते हैं और तन-मन को नई ऊर्जा मिलती है अतः सुबह शाम की सैर अत्यन्त आवश्यक है।

पुरानी खाद्य संरक्षण और भंडारण व्यवस्थाओं के स्थान पर औद्योगिक स्तर पर खाद्य संरक्षण जैसी व्यवस्था खाद्य संरक्षण प्रणाली के आधार पर रासायनिक वस्तुओं का प्रयोग करके संचालित की जा रही हैं। इस प्रक्रिया में कई दिनों तक खाद्य पदार्थ एक संतुलित तापमान पर रखकर आयात-निर्यात की प्रक्रिया से गुजरता है। फलस्वरूप अंतिम उपभोक्ता द्वारा उपभोग किया जाता है और ऐसा भोज्य विभिन्न प्रकार की लाईलाज बीमारियों का कारण बनता है। वहीं दूसरी ओर घरों में भी रेफिजरेटरों का जो उपयोग हो रहा है वह कई बीमारियों का कारण है।

असंतुलित खानपान से आजकल मोटापा, उच्च-निम्न रक्तचाप, शुगर जैसी बीमारियाँ होना आम हो गई हैं। प्राचीन परंपरा से एक उदाहरण लें जैसे पानी मिट्टी के घड़े में रखकर पीने के लिए उपयोग करें तो उसमें शीतलता के साथ-साथ मृदा में निहित तत्व भी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। मिट्टी के घड़े से उपयुक्त और उत्तम जल कोई मशीन नहीं दे सकती। इस पेय जल की शीतलता भी शरीर के तापमान के अनुसार उचित और संतुलित ही होती है। क्योंकि ये घड़े प्रकृति से बने हुए

प्राकृतिक गुणों से भरपूर होते हैं। लेकिन, प्लास्टिक बोतल में पानी को पैक कर ठंडा करके धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। वर्तमान परिदृश्य में प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग यथासंभव बढ़ाया जाना चाहिए।

यदि विभिन्न घरेलू उपकरणों को ही देखा जाए तो इनके बढ़ते प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में कार्बनमोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन आदि हानिकारक गैसों का उत्सर्जन हो रहा है जो ओज़ोन परत के साथ-साथ कई प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब सूर्य की किरणों के साथ-साथ पराबैगनी किरणें धरती पर आ रही हैं जो कैंसर जैसी घातक बीमारी का बहुत हद तक कारण हैं। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं है यही कारण है कि बढ़ते आधुनिकीकरण और मशीनीकरण से उत्पन्न क्लोरोफ्लोरो कार्बन ओज़ोन परत को नुकसान पहुंचा रही है जिससे सूर्य की किरणों के साथ आने वाली हानिकारक किरणें पृथ्वी तक आ रही हैं और कैंसर जैसे रोगों का कारण बन रही हैं। रात-दिन धू-धू करके चलने वाले वाहन न सिर्फ प्राकृतिक ईंधनों का अनावश्यक दोहन कर रहें हैं वरन तेजी से कार्बन डाईऑक्साइड का उत्पादन कर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे पृथ्वी पर बर्फ़ पिघलने की गति तेज हो रही है तथा समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है।

परिवर्तन के दौर में बढ़ती आबादी भी प्रकृति के विनाश का कारण बन रही है और हमारी पर्यावरणीय दशाएँ भी प्रभावित हो रही हैं। जैसे कि आबादी बढ़ना और एकल परिवार व्यवस्था दोनों एक साथ फल-फूल रही हैं। एकल परिवार प्रणाली के चलते अलग-अलग आवास की आवश्यकता हो रही है और इस हेतु वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है जिससे मृदा का क्षरण भी तेजी से हो रहा है। वनों के क्षेत्रफल में तेजी से आ रही कमी मौसम के असंतुलन का कारण बन रहा है। इसके परिणामस्वरूप अधिक या कम ठंड पड़ना, असंतुलित वर्षा का होना और मौसम की दशाओं का असाधारण व्यवहार, संपूर्ण मानव जाति को सचेत कर रहा है कि वापस अपने मूल रूप और आदतों को अपनाएं और पर्यावरण की रक्षा करें अन्यथा विनाश निश्चित है। हरे-भरे वन न सिर्फ छाया, ठंडा वातावरण और वर्षा देते हैं बल्कि अमूल्य प्राकृतिक औषधि भी देते हैं। कई अवसरों पर विभिन्न जीवों के लिए आवश्यकतानुसार पोषण भी देते हैं।

स्पष्ट है कि प्रकृति हमें नित-प्रति संदेश दे रही है कि अब तक दोहन बहुत हो चुका है आगे सुरक्षा और संरक्षण की जरूरत है। उद्योगों की स्थापना की भी आवश्यकता है लेकिन इनके संचालन और प्रचालन के लिए प्रकृति का निर्ममता से उपभोग न किया जाए। जो संसाधन समाप्ति की ओर अग्रसर हैं उनका उपयोग कम करते हुए उनकी प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रकृति सम्मत विकल्प खोजना चाहिए। अच्छा होगा कि हम जितना हो सके अपने दैनिक जीवन में सादगीपूर्णता, प्रकृति सम्मतता, वैदिकता के अनुरूप व्यवहार करना आरंभ करें ताकि हमारी प्राकृतिक संपदाएं सुरक्षित रह सकें जिससे प्राकृतिक चक्र में साम्य बना रहे।

❐❐❐

आम का पौधा

श्री मंगेश डुडुलकर
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

ग्रीष्म ऋतु जैसे-जैसे समाप्ति की ओर बढ़ता है, उमस मानव जीवन में परेशानी का सबब बनती जाती है। हर तरफ गर्मी का माहौल होता है और पसीने से तर-बतर ना केवल मानव जाति बल्कि सृष्टि का हर एक जीव बेहाल हो जाता है। वातावरण में ठंडक के लिए प्रयोग किए जाने वाले मानव निर्मित हर उपकरण चाहे वे पंखे, कूलर या फिर वातानुकूलित सयंत्र ही क्यों न हो, नाकाम हो जाते हैं। इस स्थिति में उम्मीद बंधती है तो केवल और केवल कुदरती करिश्मे की यानि बरसात की। ऐसा लगता है की जोरों की आंधी आ जाए और झमाझम बारिश हो जाए ताकि उमस से भरा यह जीवन कुछ राहत पा ले, मन को भाव-विभोर कर देने वाली बरसात तन-मन को शांत कर दे।

ऐसा ही नजारा आज से कुछ पाँच साल पहले हुआ और एक जोरों की बारिश ने हर मन को उत्साहित कर दिया। हम सभी कार्यालय में बारिश का आनंद लिए जा रहे थे। एक और बात है कि कार्यालय का कैंटीन भी ऐसे समय में भजिया बना कर माहौल को ज्यादा खुशनुमा कर देता है। मित्रों के साथ शाम की भजिया-चाय बारिश के आनंद को और भी मजेदार बना रही थी।

इसी प्रकार बारिश अगले दो-चार दिन और चली और हम भी आश्वस्त हो गए की अब तो हमें उमस से छुटकारा मिल ही जाएगा। ऐसे ही एक दिन दोपहर 1.30 बजे हम सभी 8-10 मित्रगण सम्माननीय श्री संजय जी ढोले/स.ले.प.अधिकारी के अनुभाग में खाना खाने बैठे थे। भोजन का आनंद लेकर हम खिड़की से बारिश का मजा भी ले रहे थे। उसी दौरान श्रीमान रवि शंकर/स.ले.प.अधिकारी जी की नजर खिड़की से बाहर की ओर गई और देखा कि एक आम का पौधा अनुभाग से सटे बाहर की पैराफिट दीवार के तल पर उग आया है और इसे उन्होने हम सभी को दिखाया। हम सब ने यह पाया की यह तो बेहतरीन पौधा है। साथ ही श्रीमान संजय जी ढोले, महोदय ने यह जानकारी दी की उक्त पौधा दशहरी आम की प्रजाति का ही होगा। फिर हम सब ने मिलकर सोचा कि यह पौधा इस जगह पर लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा और हम सब की यह राय बनी की इस पौधे को कार्यालय के प्रांगण में ही लगाते हैं ताकि यह बड़ा होकर वे सभी फायदे हमें दे सके जो एक बड़ा आम का पेड़ देता है।

सर्वप्रथम तो हम सब एकत्रित होकर इस पौधे के लिए जगह तलाश करने लगे। पार्किंग से लेकर आगे के द्वार तक हमने उपयुक्त जगह की तलाश की और एक जगह पर हम सब की सहमति हुई कि यहाँ इस जगह हम इस पौधे को पुनर्रोपित कर सकते हैं। जहाँ वह पौधे को रोपित किया गया था वह जगह थी - कार्यालय के शीश कक्ष तथा पुराने रोकड़ शाखा अनुभाग के बीच की जगह। सभी ने दूसरे मंजिल पर स्थित उस पौधे को बड़े प्यार से उठाया तथा उक्त जगह पर पुनर्रोपित कर दिया।

साथ ही आवश्यक मात्रा में पानी दिया और एक बात हम सबने की कि कार्यालय के माली भाई को बताया जाए कि वह इस पौधे की नियमित देखभाल करे । और हम सब अपने-अपने कार्यों में व्यस्त हो गए ।

आज आप में से कोई भी साथी उस पौधे को देख सकते हैं, लेकिन वह पौधा, अब पौधा नहीं रहा । वह तो अब वृक्ष का रूप लेने लग गया है साथियों।

इस प्रकार से हमने एक अच्छे विचार से आम के पौधे का स्वागत किया तथा उसे अपने ही कार्यालय में पुनर्रोपित कर दिया ।

❑❑❑

"ऐ जिन्दगी"

श्रीमती बेबीनंदा आर. ठाकुर
लेखापरीक्षक

ऐ जिन्दगी, कभी तो मिलो हमसे
ना खुशी, ना गम सिर्फ बाते हो तुमसे
ऐ जिन्दगी, कभी तो मिलो हमसे
ख्वाबों के जैसे दिल में खिलो
कभी हवा सी पास से गुजरो,
कभी चाँदनी बनके मुझमें उतर लो
ना गम रहे ना कोई दूरी
बस तुम रहो मेरी मजबूरी
बारिश की बूँदो जैसी लगो हमसे
खुशबू की तरह हर पल बिखरो
ऐ जिन्दगी कभी तो मिलो हमसे।
कभी हवा सी पास से गुजरो
कभी बारिश बनके रुह को छू लो
सपनों की तरह हलकी सी लगो
खुशबू की तरह दिल में बसो
ऐ जिन्दगी कभी तो मिलो हमसे
दिल की धड़कन बनके खिलो
ऐ जिन्दगी कभी तो मिलो हमसे।

❑❑❑

कार्यालयीन हिंदी के वाक्य साँचे

- This performance Audit was conducted to assess the implementation of the scheme.

  यह निष्पादन लेखापरीक्षा योजना के क्रियान्वयन का आंकलन करने के लिए की गई।

- This Report has been prepared for submission to the President of India.

  यह प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

- The Report contains significant result of the Compliance audit of the Ministry.

  इस प्रतिवेदन में मंत्रालय की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित है।

- The Comptroller and Auditor General of India conducts the audit of receipts of the Union Govvernment.

  भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संघ सरकार की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करते है।

- Ministry has initiated action in respect of cases pointed out by Audit.
- मंत्रालय ने लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए मामलों के संबंध में कार्रवाई आरंभ की है।

- The accounts of Government Companies are audited by C&AG of India.

  सरकारी कम्पनियो के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

- Audit findings are discussed in teh succeeding paragraphs.

  लेखापरीक्षा निष्कर्षो की चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

- A performance Audit was undertaken to assess the efficiency of the Department.

  विभाग की दक्षता का निर्धारण करने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी।

- Audit noticed various other procedural irregularities during programme implementation.

  लेखापरीक्षा में कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अन्य प्रकियात्मक अनियमितताएँ देखी गई।

- The test check by the Author has been carried out to the required percentage.

  लेखापरीक्षक के द्वारा नमूना जाँच अपेक्षित प्रतिशत तक की गई है।

- Audit is done in accordance with the prescribed norms and adequate procedure.

  लेखापरीक्षा निर्धारित मानकों और पर्याप्त प्रक्रिया के अनुसार की गई है।

- The audit has been conducted in conformity with the auditing standards issued by the Comptroller and Auditor General of India.

  यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानदंडों के अनुरूप की गई है।

- A performance audit was undertaken to assess the efficiency of the Department in realization of revenue receipts.

  राजस्व प्राप्तियों की उगाही में विभाग की दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी।

- The paragraphs included in this report relate to the Ministries/Departments of Government of India.

  इस प्रतिवेदन में सम्मिलित पैराग्राफ भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से संबंधित है।

- The Ministry accepted audit observation and has initiated action in most cases.

  मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली और अधिकतर मामलों में कार्यवाही आरंभ की है।

- The important audit findings are narrated below.

  महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं।

- The department stated that the matter has been taken up with the higher authorities.

  विभाग ने कहा कि मामले को उच्च प्राधिकारियों के समक्ष लाया गया है।

- The matter was brought to the notice of the department

  मामलों को विभाग के संज्ञान में लाया गया था।

- Audit noticed deficiencies in internal control mechanism of revenue management.

  लेखापरीक्षा ने राजस्व प्रबंधन के आन्तरिक नियंत्रण तंत्र में कमियों को देखा।

- Department has submitted an action plan to the concerned ministry.

  विभाग ने संबंधित मंत्रालय को एक कार्ययोजना प्रस्तुत की।

- Data not made available by the State Government

  राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए आंकड़े।

- The information sought under RTI may be replied immediately.

  सूचना के अधिकार के तहर मांगी गई सूचना का उत्तर तत्काल भिजवा दिया जाए।

- Please treat this strictly as confidential.

  कृपया इसे पूरी तरह गोपनीय समझा जाए।

- Bill is returned herewith the following objections.

  बिल निम्नलिखित आपत्तियों के साथ वापस किया जाता है।

- The policy was issued without the approval of the competent authority.

  नीति को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना जारी किया गया था।

- The reply of the Ministry is not acceptable.

  मंत्रालय का जवाब स्वीकार्य नहीं है।

- The State Government did noit furnish the information in relevant format for the disclosing this information.

  राज्य सरकार ने इस सूचना के प्रकटीकरण हेतु सूचना को प्रासंगिक प्रारूप में प्रस्तुत नही किया।

- Test check in audit revealed following deficiencies.

  लेखापरीक्षा की नमूना जांच से निम्नलिखित कमियो का पता चला.

- Position regarding bilingual website and the information provided on the website.

  वेबसाइट के द्विभाषिकरण तथा उस पर उपलब्ध करवाई गई जानकारी की स्थिति।

- Draft reply on the lines suggested above may be put up

  उपयुक्त सुझावों के आधार पर उत्तर का मसौदा पेश करें।

- Examine the proposal in the light of observation at "A".

  ''क'' पर उल्लिखित टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव की जांच करें।

- Explanation may kindly be called for.

  स्पष्टीकरण मांगा जाएं।

- Pending cases may be disposed.

  लम्बित मामले शीघ्र निपटाए जाएं।

- Please put up a self-contained note.

  कृपया स्वतः पूर्ण टिप्पणी प्रस्तुत करें।

- The case is resubmitted as directed on pre-page.

  पिछले पृष्ठ पर दिए गए निर्देश के अनुसार मामला फिस से प्रस्तुत यि जाता है।

- Draft has been amended accordingly.

  मसौदा/प्रारूप तदनुसार संशोधित कर दिया गया है।

- Acton may be taken as proposed.

  यथा प्रस्तावित कारवाई की जाए।

- Agenda is sent herewith.

  कार्यसूची साथ भेजी जा रही है।

- Please expedite compliance

  कृपया शीघ्र अनुपालन कीजिए।

- The bill is in order and sanction for payment may be accorded.

  बिल ठीक है, भुगतान की मंजूरी दे दी जाए।

- Draft reply is put up for approval

  उत्तर का मसौदा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है।

- Draft letter has been amended accordingly.
  पत्र का प्रारुप संशोधित कर दिया गया है।
- A committee may be formed for disciplinary action.
  अनुशासनिक कार्रवाई के लिए समिति का गठन किया गया।
- Administrative approval may be obtained.
  प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाए।
- This is for information and necessary action at your end.
  प्रारूप सम्मुख पृष्ठ पर अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
- This should be accorded top priority.
  इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जनी चाहिए।
- Action may be taken as proposed.
  आवश्यक कार्रवाई की जाए।
- Reply should be sent in Hindi.
  उत्तर हिंदी में भेजा जाए।
- Call for explanation.
  स्पष्टीकरण मांगा जाए।
- As early as possible.
  यथाशीघ्र
- Needs no comment

टिप्पणी की आवश्यकता नही है।

Reminder may be sent.
अनुस्मारक भेजा जाए।

- The report may kindly be sent at the earliest possible.
  कृपया रिपोर्ट यथाशीघ्र भेजे।
- Financial concurrence is accorded.
  वित्तीय सहमति दी जाती है।
- Furnish information urgently.
  सूचना शीघ्र भेजे।
- Delay should be avoided.
  विलंब न होने दे।
- Give top priority to this work.
  इस काम को परम अग्रता दे।
- No norms has be fixed.
  कोई मानक निर्धारित नहीं किए गए है।
- Remedial measures were being taken.
  उपचारात्मक उपाय किए जा रहे है।
- Replies were awaited.
  उत्तर प्रतीक्षित थे।
- The Department may initiate immediate action.
  विभाग उपउचारात्मक कार्रवाई प्रारंभ करें।
- Non-compliance of these instructions were also noticed in audit.
  लेखापरीक्षा में इन निदेशों का अनुपालन भी पाया गया।
- Effective monitioring mechanism is put in place.
  प्रभावी निगरांनी तंत्र स्थापित किया जाए।
- However, the fact, remains that
  हालांकि, तथ्य यह है कि
- Drawal of pay allowances beyond the sanctioned strength is unauthorised.
  स्वीकृत संख्या से अधिक वेतन भत्तों का आहरण अनधिकृत है।
- This needs to be investigated.
  इसकी जाँच किए जाने की आवश्यकता है।
- Unfruitful expenditure and blocking of funds.
  निष्फल व्यय और निधियों का अवरोधन।
- Test-chek of the records revealed.
  अभिलेखों की नमूला जाँच से पता चला।

❑❑❑

साहित्य वर्ग पहेली

श्रीमती नीरजा टंडन
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

1.						2.			
				3.				4.	
	5.	6.						7	
8		9.				10	11.		
12.									
		13.	14.				15.		16.
17.					18.	19.			
								20.	

संकेत– बाएँ से दाएँ

1. भगवतीचरण वर्मा द्वारा रचित एक प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास ।
2. ''इस्मत की'' — इस बच्चों की कहानी की लेखिका फ़ौज़िया गिलानी विलियम्स हैं।
3. गीत – यह जयदेव द्वारा रचित संस्कृत काव्य ग्रंथ है।
5. यह रवींद्रनाथ टैगोर का एक उपन्यास है। यह लेखन के क्रम में पाँचवाँ और टैगोर के बारह उपन्यासों में सबसे लंबा है।
7. ''ज्वाला और'' ---- प्रख्यात व्यंग्यकार स्व. हरिशंकर परसाई की एक उपन्यासिका है।
9. यह प्रेमचन्द के एक विशेष चिन्ताकुल विषय से सम्बन्धित उपन्यास है।
10. महाश्वेता देवी — ''चौरासी की माँ'' पुस्तक की लेखिका हैं।
12. कबीर के निर्गुण भक्ति की भावना से ओत-प्रोत गीत या पद ।
13. यह संत कबीरदास जी की एक रचना है, जो उनके सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ बीजक के तीन मुख्य भागों में से एक है।
15. अष्टाध्यायी– इनके द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है।

17. यह हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित एक काव्य–संग्रह है।
18. ' — दुर्दशा' भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा 1875 ई. में रचित एक लघु नाटक है जिसमें उनकी नवजागरण चेतना और राष्ट्रीय बोध विस्तृत रूप से अभिव्यक्त हुआ है।
20. मैथिलीशरण गुप्त द्वारा अनुवादित रवीन्द्रनाथ टैगोर की निबंधावली ''— और प्रजा''।

संकेत– ऊपर से नीचे

1. राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी की एक कविता।
2. यह प्रेमचंद की एक अनाथ बालक के बारे में लिखी हुई सुप्रसिद्ध कहानी है।
3. प्रेमचन्द का यह उपन्यास भारतीय ग्रामीण और शहरी जीवन के यथार्थ का चित्रण है।
4. अमृता प्रीतम का उपन्यास जो भारत विभाजन के दौरान महिलाओं द्वारा झेले गए दर्द, अपहरण, और विस्थापन की कहानी है।
6. यह विख्यात हिन्दी साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल की प्रसिद्ध व्यंग्य रचना है।
8. — 'की रात'–मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी हल्कू नाम के किसान की कहानी है।
11. — 'का विनाश' डॉ भीमराव आंबेडकर द्वारा लिखे गये श्रेष्ठतम एवं प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है।
14. — 'आँचल'–फणीश्वरनाथ रेणु का प्रतिनिधि उपन्यास है।
16. यह महादेवी वर्मा का तीसरा कविता–संग्रह है। इसका प्रकाशन 1934 में हुआ था।
17. ''आपका बंटी'' उपन्यास के लेखक — भंडारी।
19. 'रश्मि — ' यह हिन्दी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध खण्ड काव्य है।

साहित्य वर्ग–पहेली का हल

1.चि	त्र	ले	खा			2.ई	द		
त्रा				3.गो	विं	द		4.पिं	
	5. गो	6.रा		दा		गा		7.ज	ल
8 पू		9. ग	ब	न		10 ह	11.जा	र	
12.स	ब	द					त		
		13.र	14. मै	नी			15.पा	णि	16.नी
17. म	धु	बा	ला		18.भा	19. र	त		र
न्नू		री				थी		20.रा	जा

सुखः यात्रा या मंज़िल?

श्री प्रशांत कुमार साहु
लेखापरीक्षक

मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य हमेशा से एक ही रहा है सुख की प्राप्ति। चाहे हम किसी भी देश, धर्म, भाषा या परिस्थिति में जन्में हों, हमारी हर कोशिश, हर निर्णय और हर सपना अंततः हमें प्रसन्न करने के लिए ही होता है। लेकिन एक शाश्वत प्रश्न आज भी हमारे सामने खड़ा है क्या सुख कोई मंज़िल है, जहाँ पहुँचकर हम हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाते हैं, या यह जीवन की यात्रा में हर क्षण बिखरे हुए अनुभवों का नाम है?

सुख एक मंज़िल : कभी तो मिलेगा का भ्रम–

बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि सुख किसी लक्ष्य की प्राप्ति के बाद ही मिलता है।

विद्यार्थी सोचता है, परीक्षा पास हो जाऊँगा तो खुश हो जाऊँगा।

नौकरीपेशा व्यक्ति कहता है, प्रमोशन मिलेगा तो जीवन सुखमय होगा।

माता–पिता सोचते हैं, बच्चे स्थापित हो जाएँगे तो चैन मिलेगा।

लेकिन सच यह है कि जैसे ही एक लक्ष्य पूरा होता है, हम अगले लक्ष्य की तलाश में भागने लगते हैं। इसे मनोविज्ञान में Arrival Fallacy कहा गया है – यह भ्रम कि किसी उपलब्धि के बाद स्थायी सुख मिल जाएगा।

उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति वर्षों तक मेहनत करके सपनों का घर खरीदता है। कुछ समय तक प्रसन्न रहता है, लेकिन जल्द ही सोचने लगता है अब इसे और बड़ा करना है या इसे बेहतर सजाना है। परिणामस्वरूप, वह उस वास्तविक सुख का आनंद भी नहीं ले पाता जो उसके सामने है।

यही कारण है कि यदि हम सुख को केवल मंज़िल मानें, तो जीवन बीत जाता है और हमें लगता है कि हम अभी भी खुश नहीं हैं।

सुख एक यात्रा : हर कदम पर आनंद–

दूसरा दृष्टिकोण यह है कि सुख कोई अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि पूरी यात्रा का हिस्सा है। इसका अर्थ है कि हमें भविष्य की किसी उपलब्धि का इंतज़ार करने के बजाय वर्तमान क्षण में सुख ढूँढ़ना चाहिए।

सोचिए दो दोस्त मैराथन की तैयारी कर रहे हैं। एक केवल पदक के बारे में सोचता है, जबकि दूसरा हर सुबह की दौड़, ताज़ी हवा और साथी धावकों की संगति का आनंद लेता है। दोनों फिनिश लाइन पार करेंगे, लेकिन किसने यात्रा में अधिक सुख पाया? निस्संदेह, वही जिसने हर कदम का आनंद लिया।

बौद्ध दर्शन, सूफी कवि रूमी और आधुनिक चिंतक एकहार्ट टॉले सभी कहते हैं कि सुख वर्तमान क्षण में ही है। यदि हम अतीत पर पछताते रहें या भविष्य की चिंता में डूबे रहें, तो वर्तमान का सुख खो देते हैं।

सुख का विज्ञान–

आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस ने सुख

के बारे में चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं:

हैप्पीनेस सेट-पॉइंट थ्योरी: हमारी लगभग 50% खुशी आनुवंशिक होती है। कुछ लोग स्वभाव से प्रसन्न होते हैं, कुछ उदासीन।

परिस्थितियों का योगदान: केवल 10% सुख बाहरी परिस्थितियों (धन, नौकरी, सामाजिक स्थिति) पर निर्भर करता है। यही कारण है कि करोड़पति भी दुखी हो सकते हैं और गरीब किसान भी प्रसन्न।

40% हमारे चुनाव: शेष 40% हमारी आदतों और सोच पर निर्भर है आभार व्यक्त करना, रिश्ते निभाना, दया करना, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना।

इससे स्पष्ट है कि सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर और हमारे दृष्टिकोण में है।

भौतिक सफलता बनाम आंतरिक शांति-

अक्सर हम सुख को धन-दौलत, प्रसिद्धि और भौतिक साधनों से जोड़ देते हैं। सच यह है कि जीवन-यापन के लिए आवश्यक साधन मिलने के बाद अतिरिक्त संपत्ति केवल सुविधा देती है, स्थायी सुख नहीं।

महात्मा गांधी इसका श्रेष्ठ उदाहरण हैं। उनके पास भौतिक संपत्ति बहुत कम थी, लेकिन उनका जीवन संतोष और सेवा से भरा था। दूसरी ओर, कई प्रसिद्ध हस्तियाँ अपार धन-दौलत के बावजूद अकेलेपन, तनाव या नशे की लत से जूझती रही हैं।

इससे सिद्ध होता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की शांति, अच्छे रिश्तों और उद्देश्यपूर्ण जीवन में है।

संतुलन की आवश्यकता-

यह सच है कि हमें वर्तमान क्षण का आनंद लेना चाहिए, लेकिन लक्ष्य और सपने भी उतने ही आवश्यक हैं। लक्ष्यों के बिना जीवन दिशाहीन हो जाता है।

यदि हम केवल भविष्य के लिए जिएँगे, तो वर्तमान का सुख खो देंगे।

यदि हम केवल वर्तमान में जिएँगे और कोई उद्देश्य नहीं होगा, तो जीवन ठहर जाएगा।

इसलिए सही मार्ग यही है कि हम मंज़िल की ओर बढ़ते हुए यात्रा का आनंद लें।

सुख पर सांस्कृतिक दृष्टिकोण-

यूनानी दर्शन: अरस्तू ने कहा कि सच्चा सुख केवल आनंद नहीं, बल्कि सद्गुण और उद्देश्यपूर्ण जीवन है।

बौद्ध दर्शन: भौतिक आसक्तियों से मुक्ति और आंतरिक शांति में ही सुख है।

भारतीय दर्शन: उपनिषद कहते हैं कि आनंद मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है, जिसे भीतर खोजा जा सकता है।

पाश्चात्य आधुनिक चिंतन: पॉज़िटिव साइकोलॉजी कृतज्ञता, आशावाद और मजबूत रिश्तों को स्थायी सुख का आधार मानती है।

सुख पाने के व्यावहारिक उपाय-

कृतज्ञता का अभ्यास: रोज़ तीन बातों के लिए आभार लिखें।

सचेतनता: वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें।

दया और सेवा: किसी की मदद करने से भीतर स्वतः प्रसन्नता आती है।

सशक्त रिश्ते: अच्छे संबंध दीर्घकालिक सुख का सबसे बड़ा आधार हैं।

उद्देश्यपूर्ण जीवन: क्यों जी रहे हैं का उत्तर मिल जाने पर कठिनाइयाँ भी आनंद देती हैं।

निष्कर्ष : एक अनंत यात्रा । सुख कोई दूर की मंज़िल नहीं है, जहाँ पहुँचकर हम हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाएँ। यह तो उस यात्रा का हिस्सा है जिसे हम हर दिन जीते हैं। यह सुबह की धूप में है, किसी प्रियजन की मुस्कान में है, किसी की मदद करने की शांति में है।

सुख को समझने का सही तरीका यही है कि इसे यात्रा भी मानें और मंज़िल भी, लेकिन यह मंज़िल बाहर कहीं नहीं हमारे हर कदम में छिपी हुई है।

दलाई लामा का वाक्य याद आता है:

सुख कोई तैयार वस्तु नहीं है। यह हमारे अपने कर्मों से जन्म लेता है।

इसलिए हमें सुख का इंतज़ार करने के बजाय उसे हर क्षण जीना सीखना होगा।

जीवन की अनिश्चितता

श्री हेमंत धोंडरीकर
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

1) जीवन....एक सुंदर पर अत्यंत अनिश्चित कथा है।
2) कभी कोई पिकनिक पर निकला – और आतंकवाद की गोली सीना पार कर गई।
3) कोई विजय उत्सव देखने गया – और भीड़ ने उसको हमेशा के लिए खामोश किया।
4) कोई अपने सपनों को उड़ान देने चला था – और विमान ही उसकी चिता बन गया।
5) कोई डॉक्टर बनने के सपने बुन रहा था – आकाश से मौत बरस गई।
6) किसी ने भी नहीं सोचा था कि मृत्यु यूँ छुपकर आएगी और जीवन के रंगमंच से अचानक पर्दा गिरा देगी।
7) हम जीवन के पन्नों पर फल की योजनाएँ लिखते है – पर प्रारब्ध शायद मुस्कुराकर कहता है ''मैंने कुछ और सोचा है तुम्हारे लिए।''
8) इसलिए .... इस पल को पूर्णता से जिओ ; हर रिश्ते को गहराई से महसूस करो ; ना मन में कोई शिकवा रखो ; ना हृदय में कोई विष घोलो ; माफ करना सीखो ; गले लगाना सीखो, क्योंकि कौन जाने ... अगला सूरज किसके लिए उगेगा या नहीं। क्योंकि अंत में, साँसे रूक जाती हैं, केवल यादें रह जाती हैं।

❑❑❑

रश्मि 39वाँ अंक

ब्रोकेन, यट ब्यूटीफुल

कु. वंदना
डी. ई. ओ.

ज़िंदगी में हम सब कभी न कभी बिखरते हैं। कुछ लोग दिल के टुकड़े-टुकड़े हो जाने का दर्द सहते हैं, कुछ के सपने टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं, और कुछ लोग असफलता की गहरी खाई में गिर जाते हैं। ऐसे में, हम अपनी टूटी हुई जगहों को सबसे छिपाने की कोशिश करते हैं। हम डरते हैं कि कहीं लोग हमें कमज़ोर न समझें, हमें अधूरा न मानें। हमें लगता है कि जो चीज़ टूट गई है, वो अब बेकार हो चुकी है।

लेकिन जापान में सदियों से एक बहुत ही खूबसूरत कला चली आ रही है जिसे किंत्सुगी (Kintsugi) कहते हैं। इसका मतलब है, सोने से जोड़ना। इस कला में जब कोई मिट्टी का बर्तन या प्याला टूट जाता है, तो उसे फेंकते नहीं। बल्कि, उसके टूटे हुए टुकड़ों को बड़ी सावधानी से इकट्ठा किया जाता है और एक खास तरह की गोंद से जोड़ा जाता है। इस गोंद में सोने, चाँदी या प्लैटिनम का पाउडर मिलाया जाता है।

यह सिर्फ टूटे हुए बर्तन को ठीक करना नहीं है, यह एक गहरी सोच है। टूटने के बाद बर्तन पर जो दरारें बनती हैं, उन्हें छुपाया नहीं जाता, बल्कि सोने की चमकदार रेखाओं से और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया जाता है। ये सुनहरी रेखाएँ उस बर्तन की कहानी बताती हैं - कि यह एक बार टूटा था, पर इसे फिर से जोड़ा गया। इस प्रक्रिया के बाद, वह बर्तन टूटने से पहले जितना कीमती था, अब उससे भी ज़्यादा अनमोल हो जाता है। उसकी कीमत सोने से नहीं, बल्कि उसकी कहानी से तय होती है।

आसमान में टूटते हुए तारे की कहानी भी तो कुछ एसी ही है । क्या आपने कभी रात के अँधेरे आसमान में टूटते तारे को देखा है? वो पल भर के लिए अपनी पूरी चमक बिखेरता है और फिर गायब हो जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो चमक कहाँ से आती है?

वो चमक उसकी टूटने की ही तो कहानी है।

वो तारा जब टूटता है, तो अंतरिक्ष की कठोरता से टकराकर बिखर जाता है। इसी टूटने की प्रक्रिया में वो अपनी सबसे तेज़ और सबसे खूबसूरत रोशनी बिखेरता है। वो अपने अंदर की सारी ऊर्जा एक ही पल में बाहर निकाल देता है। लोग कहते हैं कि टूटता तारा देखना शुभ होता है, क्योंकि वो अपने पीछे एक खूबसूरत रोशनी की लकीर छोड़ जाता है और आसमान के उस अंधेरे में दिखी वो एक रोशनी की लकीर, हर ख़्वाहिश पूरी करने की एक उम्मीद दे जाती है।

आसमान में चमकते हुए सितारे तो हम रोज़ देखते है,
लेकिन सिर्फ किसी टूटते हुए तारे को देख, आँखें मूँदे,
हम सपने सेकते है ।

तो जब टूटता हुआ तारा खूबसूरत हो सकता है,

टूटे हुए बर्तन को खूबसूरत बनाया जा सकता है, तो इंसान क्यूँ नहीं ?

हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हमारे दिल पर जो चोट है, जो दर्द है, जो गलतियाँ हैं – ये हमारी कमजोरी नहीं हैं। ये हमारी कहानी है। ये वो सुनहरी लाइनें हैं जो हमें दूसरों से अलग बनाती हैं। ये बताती हैं कि हम टूटे ज़रूर थे, पर हम फिर से खड़े हुए। हर आँसू, हर मुश्किल, हर हार हमें कुछ सिखाती है, और ये सीख ही हमारा असली सोना है, हमारी चमक है। यही वो रोशनी की लकीर है जो हमारी आत्मा को मज़बूती और चमक देती है।

इसलिए, अपनी टूटी हुई जगहों को छिपाओ मत। उन्हें अपनी ताकत बनाओ। उन निशानों को देखो और याद रखो कि तुमने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। जिस तरह किंत्सुगी का टूटा हुआ बर्तन अपनी दरारों के कारण और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, एक टूटता हुआ तारा अपनी रोशनी के कारण अंधेरे आसमान में भी चमक उठता है, उसी तरह हमारी ज़िंदगी की टूटी हुई कहानियाँ हमें और भी मज़बूत, दयालु और समझदार इंसान बनाती हैं।

याद रखो, तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक किंत्सुगी मास्टरपीस हो। एक ऐसी कलाकृति जो टूटने के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है।

❒❒❒

दोस्ती

श्री ए. के. सिन्हा
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

कागज़ों से लेखनी ने दोस्ती की और
उनको धीरे धीरे रंग दिया,
बेरंग कागज दोस्ती के रंग में खिल गया
मानो मिला जीवन नया ।
रंगते–लिखते सिलसिला ये चल पड़ा –
यह बढ़ेगा या रुकेगा क्या पता?
मन की बातें क्या उभर कर आयेंगी?
या सिमट कर संकुचित हो जायेंगी?
बात ये बढ़ती अगर ही जाएगी–
दोस्ती क्या ये सफल हो पाएगी ?
कुछ सहम कर और थोड़ा सा सम्भल कर
राह में दोनों सफर पर चल पड़े.
लेखनी ने लिख दिया था नाम अब–कागज
चल पड़ा लेखनी को थाम कर,
ज्यों एक दूजे के लिए है ये बने,
त्यों निज जीवन की राह में
अस्तित्व परस्पर जुड़ते हो जहाँ जोड़ लें
कड़ियाँ, अकेले ना चलें ।
साथ–साथ हर सफर आसान है,
'दोस्ती' बस इसी का नाम है।

❒❒❒

रश्मि 39वाँ अंक

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-॥), महाराष्ट्र, नागपुर में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुचारू रूप से जारी है।

राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार विगत तिमाहियों की हिंदी प्रगति प्रतिवेदनों को ऑनलाइन प्रेषित किया गया। विभिन्न अनुभागों से प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा की गई तथा संबंधित अनुभागों को अपेक्षित सुधार करने हेतु कार्यालय आदेश जारी किए गए।

अप्रैल–जून, 2025 की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक महालेखाकार महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 18.07.2025 को आयोजित की गई। राजभाषा की प्रगति से संबंधित सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा कार्यालय में राजभाषा का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। सर्वाधिक हिंदी पत्राचार हेतु केंद्रीय लेखापरीक्षा/एफ.ए.डबल्यू-॥ अनुभाग को तथा सर्वाधिक हिंदी टिप्पण हेतु प्रशासन अनुभाग को महालेखाकार द्वारा चल शील्ड प्रदान किया गया ।

❒❒❒

हिंदी कार्यशाला

राजभाषा विभाग के निदेशानुसार, कार्यालयीन कामकाज में राजभाषा कार्यान्वयन को सरल एवं सहज बनाने हेतु हिंदी अनुभाग द्वारा प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है । इसमें अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालयीन कामकाज हिंदी में करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अप्रैल–जून, 2025 की कार्यशाला दिनांक 28.05.2025 एवं 29.05.2025 को तथा जुलाई–सितंबर, 2025 की कार्यशाला दिनांक 25.08.2025 एवं 26.08.2025 को दो–दो अर्ध दिवसों में आयोजित की गई।

❑❑❑

हिंदी भाषा प्रशिक्षण

हिंदी शिक्षण योजना, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिंदी पारंगत प्रशिक्षण सत्र जनवरी–मई, 2025 में कार्यालय के सात कर्मचारी उत्तीर्ण हुए। उक्त प्रशिक्षण परीक्षा में निर्धारित अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों को निम्नानुसार नकद पुरस्कार प्रदान किए गए :–

हिंदी पारंगत प्रशिक्षण सत्र जनवरी मई, 2025

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत (%)	
1.	श्री नक़ीब अख्तर व.ले.प.	162/200	81	
2.	श्री सलिम करीम सय्यद, व.ले.प.	156/200	78	
3.	श्री मोहम्मद आसिफ, व.ले.प.	136/200	68	
4.	श्री योगिराज नामदेव बनसोड़े, व.ले.प.	131/200	65.5	
5.	श्री आनंद दिनकर कुलकर्णी, व.ले.प.	128/200	64	
6.	श्री सत्यमूर्ति नरेश वाघमारे, व.ले.प.	109/200	54.5	
7.	श्री महेंद्र य. शिवणकर, व.ले.प.	84/200	42	

स्वतंत्रता दिवस

कार्यालय में 79वें स्वतंत्रता दिवस का आयोजन एवं इस अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम की झलकियाँ।

मेधावी छात्रों एवं उनके अभिभावकों का सम्मान

शैक्षणिक सत्र 2024-25. में 10 वीं एवं 12 वीं की बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल अंकों से उत्तीर्ण होने पर कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों/कमचारियों के बच्चों को उप महालेखाकार (प्रशासन) श्रीमती मेघना जैन द्वारा सम्मानित किया गया।

हिंदी गृह पत्रिका रश्मि के 37-38 वें संयुक्तांक के विमोचन की झलकियाँ

दिनांक 06-06-2025 को कार्यालयीन राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में 'रश्मि' के 37-38 वें संयुक्तांक का विमोचन महालेखाकार महोदय द्वारा उप महालेखाकार /प्रशासन, उप महालेखाकार/एएमजी-III तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया।

पत्रिका का ई-संस्करण फ्लिप बुक फार्मेट में कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), महाराष्ट्र, नागपुर की कार्यालयीन वेबसाइट www.cag.gov.in/ag/nagpur/en पर निम्न पाथ पर पढ़ने हेतु उपलब्ध है : कार्य-प्रशासन-राजभाषा-हिंदी पत्रिका रश्मि (Function-Administration-Rajbhasha-Hindi Magazine Rashmi).

❑❑❑

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2025-26 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	''क'' क्षेत्र		''ख'' क्षेत्र		''ग'' क्षेत्र	
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को	100%	1. ख क्षेत्र से क क्षेत्र को	90%	1. ग क्षेत्र से क क्षेत्र को	60%
		2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को	100%	2. ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को	90%	2. ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को	60%
		3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को	70%	3. ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को	60%	3. ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को	60%
		4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	100%	4. ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	90%	4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कार्यालय/व्यक्ति	60%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%		100%		100%	
3.	हिंदी में टिप्पण	80%		55%		35%	
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	75%		65%		35%	
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%		70%		45%	
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	70%		60%		35%	
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%		100%		100%	
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%		100%		100%	
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात हिंदी ई-पुस्तक, समचार पत्र सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%		50%		50%	
10.	हिंदी और अंग्रजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर्स भी शामिल है, की खरीद	100%		100%		100%	
11.	वेबसाईट द्विभाषी हो	100%		100%		100%	

12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं।	100%	100%	100%
13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों (उ.स./निदे.सं.सं) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें			
	(क) हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष मे 2 बैठकें	
	(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)	
	(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 4 बैठक (प्रति तिमाही एक बैठक)	
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया और साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहाँ संपूर्ण कार्य हिंदी में हो।	45%	35% (न्यूनतम अनुभाग)	25%

सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहाँ अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, 'क' क्षेत्र में कुल कार्य का 45% 'ख' क्षेत्र में 30% और 'ग' क्षेत्र में 20% कार्य हिंदी में किया जाए।

◆ ◆ ◆

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3)

Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963

इस धारा के अनुसार निम्नलिखित 14 प्रकार के दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है।

1. संकल्प (Resolutions)
2. सामान्य आदेश (General Orders)
3. नियम (Rules)
4. अधिसूचनाएँ (Notifications)
5. प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट (Administrative & Other Reports)
6. प्रेस विज्ञप्तियाँ (Press Communiques)
7. संसद के सदनों के समक्ष राखी जाने वाली रिपोर्ट
   (Report to be laid before the houses of the Parliament)
8. सरकारी दस्तावेज (Government Papers)
9. संविदाएँ (Contracts)
10. करार (Agreements)
11. अनुज्ञप्तियाँ (Licences)
12. अनुज्ञा पत्र (Permits)
13. निविदा सूचना (Tender Notices)
14. निविदा-प्रपत्र (Tender Forms)

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest